# हरियाणा विधान सभा

# की

# कार्यवाही

## 16 जुलाई, 1974

खंड 2, अंक 7

अधिकृत विवरण

# विशय सूची

## मंगलवार, 16 जुलाई, 1974

पृश्ठ संख्या


| | |
|---|---|
| तारांकित प्र न एवं उतर | (7) 1 |
| ध्यानाकर्शण प्रस्ताव | (7) 29 |
| कार्य–मंत्रणा समिति का तृतीय प्रतिवेदन | (7) 31 |
| वि ोशाधिकार समिति का द्वितीय प्रारम्भिक प्रतिवेदन तथा समय बढाना | (7) 31 |
| औचित्य प्र न–दी हरियाणा कैनाल एण्ड ड्रैनेज बिलए 1973 के सम्बन्ध में | (7) 32 |
| दी हरियाणा कैनाल एण्ड ड्रैनेज बिलए 1973 | (7) 35 |

# हरियाणा विधान सभा

## मंगलवार, 16 जुलाई, 1974

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़, में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

## तारांकित प्र न एवं उतर

### Power House in Jind District

***758. Sh. Dhaja Ram:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the names of the places in district Jind, where new Power House Sub-Station are under construction, together with, the time by which the same are likely to start functioning?

**State Minister for Irrigation and power(Sardar Harmohinder Singh Chatha):** New Power Sub-Station are being Constructed at the following places in district Jind:-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | Safidon | 132 K.V. Sub-Station |
| (ii) | Uchana | 132 K.V. Sub-Station |
| (iii) | Garhi | 132 K.V. Sub-Station |
| (iv) | Kheri | 132 K.V. Sub-Station |
| (v) | Naguran. | 132 K.V. Sub-Station |

The above Sub-Station are expected to be completed during current financial year i.e. 1974-75, subject to the availability during required equipment. These will start functioning immediately on completion.

**Industrial Town**

***767. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to declare the Karnal townb as industrial town; if so, when; and

(b) if the reply to part (a) above be in the negative whether the Government intends to set up an Industrial Colony at Karnal?

**Industries Minister (Sh. Harpal Singh):**

(a) No. No. Town in the State is declared as Industrial Town.

(b) One Industrial Development Colony is already in existence in Karnal and the proposal for establishing another is under consideration of the Government.

**Water Supply Schemes**

***783 Sh. Amar Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the approximate date on which the following water supply schemes stated functioning in each case—

1. Jamalpur in Bawani Khera Tehsil;

2. Paposa in Bawani Khera Tehsil;

3. Barsi in Bawani Khera Tehsil; and

4. Umra and Sultanpur in Hansi Tahsil?

**गृह तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती भारदा रानी):**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जमालपुर | कार्य 1971–72 मे चालू किया गया।<br>कार्य प्रगति में है। कोई निश्चित तिथी कार्य सम्पन्न करने के सम्बन्ध मे नही बताई जा सकती, यह धनराशि के उपलब्ध होने पर निर्भर है। |
| 2. | पपोसा | यथोपरि |
| 3. | बरसी | पंचायत की ओर से सार्वजनिक भाग तथा वाटर वर्कस बनाने के लिए भूमि न देने के कारण कार्य चालू नही किया गया। |
| 4. | उमरा तथा सुलतानपूर | यथोपरि |

**श्री अमर सिह:** स्पीकर साहब, जमालपेर और पपोसा की सन् 1971–72 से वही स्थिति बतायी जा रही है। क्या मंत्री महोदया यह बताने का कश्ट करेगी कि कितनी धन–राशि इन

दोनो वाटर स्पलाई स्कीमज पर खर्च करनी है और कितनी अब तक खर्च की जा चुकी है।

**श्रीमती भाारदा रानी :** जमालपुर की स्कीम का ऐस्टीमैंट पांच लाचा और 75 हजार रूपए का है जिसमे से दो लाखप 30 हजार रूपया इसको मिल चुका है। 59 हजार रूपया अभी पंचायत से लेना बाकी है, 20 हजार रूपया पंचायत ने दिया है। एक लाख 91 हजार रूपया खर्च हो चुका है। इस स्कीम पर 33 परसैन्ट काम हो चुका है।

पपोसा की स्थिती यह है कि यह चार गावों की स्कीम है और यह सात लाख 63 हजार रूपए की है। इसमे कोई 4 लाख 70 हजार रूपया अभी तक स्टेट से दिया जा चुका है। इसमे 92 हजार रूपए की बैनिफिसरी भोयर है जो पंचायत ने देना है। 45 हजार रूपया उन्होने दिया है 47 हजार रूपया अभी बाकी है। चार लाख 97 हजार रूपए का काम किया जा चुका है। 65 परसैंट इसका काम खत्म किया जा चुका है।

**श्री अमर सिंहः** क्या मंत्री महोदया यह बतानवे की कृपा करेगी कि दादरी और लौहरू मे बैनिफिसरी भोयर नही लिया जाता है लेकिन बवानीखेड़ा जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हैं उससे बैनिफिसरी भोयर लिया जाता है? क्या उसको एग्जैम्पट किया जाएगा?

**श्रीमती भारदा रानीः** अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई भी स्कीम नही है। पिछले दिनों गवर्नमैट आफ इन्डिया की ऐक्सलरेटिड स्कीम चली थी, कुछ जरूरी सीनों पर चालू की गई थी लेकिन स्टेट गवर्नमैंट की कोई ऐसी स्कीम नही हैं। जिसमे बैनिफिसरी भोयर न लिया जाता हों। हां यह अव य है कि जो बहुत ड्राई एरिया है जहां पर बहुत ही कहत ही हालत होती है वहां ड्राउट रिलीफ के अन्डर उनका बैनिफिसरी भोयर गवर्नमैंट की और अदा कर दिया जाता है।

**श्री अमर सिंहः** क्या मंत्री महोदया के नोटिस मे यह है कि बवानीखेड़ा तहसील के बहुत से गांव बिल्कूल लोहारू जैसे ही है और यह इलका बारि ा पर ही निर्भर करता है, इन गावों को इस बैनिफिसरी भोयर से एग्जेम्पट कर दिया जाएगा?

**श्रीमती भारदा रानीः** अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट तो वहां के हालात के अनुसार मिलती हैं। वहां से इस प्रकार की रिपोर्ट यदि कोई मिली भी होगी तो हमारे नोटिस मे नही है। उनका ड्राउट एरिया मे भामिल नही किया गया। अगर किया जाता तो उनका बैनिफिसरी भोयर माफ किया जा सकता था।

**Doctors working on Adhoc basis**

***760 Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the minister for Industries be pleased to state the total number of doctors working on ad-hoc basis in the State at present who have not

been paid their emoluments together with the period of Non-Payment?

**गृह तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती भाारदा रानी):** ऐसे डाक्टरों के सम्बन्ध मे स्थिती इस प्रकार है:—

| | डाक्टरों की संख्या | जिस तिथी के प चात् वेतन नही दिया गया |
|---|---|---|
| (1) | **स्वास्थ्य निदे ाालय** | |
| | 1 | 28.02.1974 |
| | 40 | 31.03.1974 |
| | 6 | 30.04.1974 |
| (2) | **मैडीकल कालेज रोहतक** | |
| | 26 | 01.04.1974 |

**चौधरी ि ाव राम वर्मा:** क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगी की इतने दिनों से इन डाक्टर्ज को तन्खाह क्यो नही मिली?

**श्रीमती भाारदा रानी:** अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि ये सब ऐडहोक अप्वायंटी है। पब्लिक सर्विस कमी ान को रिक्यूजी ान

भेजी गई थी, इसके बाद 01.03.1971 को रिक्यूजी ान आ गई, क्योंकि रिक्यूजी ान भेजी गयी थी, इनकी अनुमति हमारे पास रैगुलर कैंडीडेटस पब्लिक सर्विस कमी न से आ जायेगा लेकिन उस समय तक नही आये। इसके बाद उनको लिखा गया आरैर ए. जी. साहब से भी इनके सब केसिज कलियर होने की वाले या हो भी गये हो, उनके पास भाायद पे–स्लिप भेज दी गई हो या भेजी जा रही होगी।

**चौधरी ि ाव राम वर्मा:** क्या मंत्री महोदया बतायेगी कि किस तारीख तक इनकी सारी तंखाह दे दी जायेगी?

**श्रीमती भाारदा रानी:** अध्यक्ष महोदय, मैने कहा कि भाायद ए.जी. के जरिए, पे–स्लिप भेजी ही जा रही है, फाईनेलाईज के करीब ही है। यह हमारी रिसैन्ट इनफर्मे ान है।

## ताराकिंत प्र न संख्या 789

यह प्र न पूछा नही गया क्येांकि माननीय सदस्य उस सदन मे उपस्थित नही थें।

***823 Malik Sat Ram Dass Batra:** Will the Minister for Irrigation Government to utilise the water of Ghaggar;

(a) whether there is any schemei under consideration of the Government to utilise the water of Ghagger;

(b) if so, whether any investigations were carried out in this behalf;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the areas which are likely to be benefited by this scheme?

**Stat Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):**

(a) Yes.

(b) Investigations on two scheme have already been complted and investigation on two more schemes are in progrss.

(c) Details of schemes already investigated are as under:-

**1. Scheme for Ghaggar Water into tail Ratia Branch**

| | | |
|---|---|---|
| (i) | Cost of the Scheme | Rs.2178,000/- |
| (ii) | Supplies proposed to be pumped. | 221 Cusecs |
| (iii) | Number of days for which supplies would be pumped | 50 Days |
| (iv) | No. of pump Houses | 1 |
| (v) | Total Lift. | 23.39 ft. |

**2. Lifting Ghggar Water into tail Rodi Branch**

| | | |
|---|---|---|
| (i) | Cost | 24,72,000 |
| (ii) | Supplies proposed to be pumped. | 166 Cusecs |
| (iii) | Number of days for which supplies would be pumped | 59 Days |
| (iv) | No. of pump Houses | 1 |
| (v) | Total Lift. | 16.85 ft. |

**मलिक सतराम दास बतराः** क्या मंत्री महोदय यह बतायेगे कि यह गवर्नमैंट के विचाराधीन बात है हर 8–10 मील के फासले पर रेगूलैटर लगा कर डायरेक्ट माईनर निकाल दी जाये ताकि ये लिफ्ट स्कीम अन–इकोनिमिकल न हो क्योकि पानी भी थोड़ा है?

**सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः** स्पीकर साहब, इस बात को हमने एग्जामिन किया था लेकिन तरीका ठीक समझा गया जो अर्ज किया है।

**चौधरी ि ाव राम वर्माः** क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि जैसे उन्होने अभी घग्गर की स्कीम बनायी है, क्या मारकंडा और टांगरी की भी कोई ऐसी स्कीम है?

**सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः** टांगरी की स्कीम इनवैस्टीगे ान की जा रही है। टांगरी का पानी लिफ्ट करके नरवाना ब्रान्च मे डाला जायेगा।

**चौधरी ि िव राम वर्मा:** क्या घग्गर का पानी जो इस्तेमाल किया जा रहा है इसमे करनाल और कुरूक्षेत्र जिले को भी पानी मिलेगा?

**सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा:** जितना पानी हम पम्प करते है वह पानी इस सिस्टम मे डाल देते है। यह पानी किसी पार्टिकूलर एरिया के लिए नही होता। उस एरिया का वहा से पानी दे दिया जायेगा, पिछले एरिया का वहा से काट लिया जायेगा। यह सारा सिस्टम पानी का है।

**मलिक सतराम दास बतरा:** क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेगे कि मैक्सिमम फलड हर वर्श कितना मापा जाता है और उसकी यूटेलाईजे ान कितनी हैं।

**सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा:** मैक्सिमम फ्लड 23–24 हजार क्युसिक आज तक आया हैं। इसको यूटेलाईजे ान सिर्फ 25 परसैन्ट हुई है।

**श्री जगजीत सिंह टिक्का:** क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि घग्गर के ऊपर चंडी–मंदिर के पास एक डेम बनाने की जो स्कीम थी, उसको कब तक बनाने का सरकार का विचार है?

**सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा:** स्पीकर साहब, मैने पिछले सै ान मे भी अर्ज किया था कि यह स्कीम जरूर है लेकिन इसकी प्रायरिटी बहुत लो है।

**राव अभय सिंहः** क्या मंत्री महोदय यह बतायेगे कि साहबी नदी पर बांध बनान की जो स्कीम चल रही है, उस पर कम तक काम भुरू हो जायेगा?

**सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः** इसके लिये तो सैपरेट नोटिस की जरूरत है।

**चौधरी पीर सिंहः** क्या मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेगेंकि जो घग्गर नदी हिसार के एरिया से गुजरती है, वह हिसार के जिले के कितने एरियें का सैराब करती है?

**सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः** घग्गर नदी कितने एरिया को सैराब करती है, इसके बारे मे मुख्य मंत्री साहब और मंत्री साहब ने भी यह अर्ज किया था कि यह कोि ा ा की जाती है कि फ्लड वाटर और अन्डरग्राउन्ड वाटर को मैक्सिमम टेप करके मैक्सिमम पानी दिया जायें।

## ताराकिंत प्र न संख्या 835

यह प्र न पूछा नही गया क्योंकि माननीय सदस्य उस सदन मे उपस्थित नही थें।

***819 Chaudhri Mehar Chand:** Will the Minister for Finance be pleased to state the amount of expenditure incurred by the State Government on pay and allowances on staff of all the Haryana Government Department during the financial year 1967-68 and 1973-74 separately?

**Finance Minister(Sh. Ram Saran Chand Mittal):** The Total wage bill of Haryana Government employees on account of basic pay, dearness pay, dearness allowance during the year 167-68 was about Rs. 2,669 lakhs. Information relating to the year 1973-74 is still being collected, and sufficient time will be required to compile it. This information when collected and complied will be supplied to the Secretary Haryana Vidhan Sabha for Transmission to the Honorable Member.

**चौधरी राम लाल वधवाः** क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेगें कि यह खर्च टोटल रैवन्ययू का कितना परसैंट बनता है।

**श्री राम सरन चन्द मित्तलः** यह तो आपको टोटल रैवेन्यू से हिसाब लगाकर कैलकुलेट करना पड़ेगा।

**चौधरी मनफूल सिंहः** क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि इसमे आई.ए.एस. और एच.सी.एस. आफिसर्ज का पे–एण्ड–अलाऊंसिज कितना है ओर बाकी का कितना है?

**श्री राम सरन चन्द मित्तलः** इसकी ब्रेक–अप तो एक अलग बात हैं। इसके अन्दर ऐक्सपैंडीचर आन हाउस रैंट अलाउन्स, कम्पनसेटरी अलाउन्स एण्ड मैडीकल री–इम्बर–समैटस भाामिल नही है। बाकी सब खर्चा इसमे भाामिल है। मेरे पास वह ब्रेक–अप नही है यह ब्रेक–अप मेरे पास है। बेसिक पे 14 करोड़,

50 लाख 19 हजार, डियरनैस–पे 3 करोड़ 22 हजार और डियरनैंस अलाउन्स 9 करोड़ 18 लाख 91 हजार हैं।

**श्री के.एन. गुलाटीः** क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि एक टेम्पोरेरी ऐम्पलाई को कितने परियड बाद परमानैंट कर दिया जाता है?

**श्री राम सरन चन्द मित्तलः** इसका इस सवाल के सम्बन्ध नही है।

**श्री अमर सिंहः** क्या मंत्री महोदय यह बताऐगे कि 1967–68 मे क्लास थ्री और क्लास फोर के ऐम्पलाईज के पे–एण्ड–अलाउन्सिज पर कितना खर्चा किया है और क्लास टू और क्लास वन के आफिसर्ज पर कितना खर्च किया है?

**श्री राम सरन चन्द मित्तलः** इस ब्रेक–अप के लियें तो अलग से नोटिस देना पड़ेगा।

**श्री पीर चन्दः** क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि आजकल की मंहगाई को देखते हुए सरकार सभी डिपार्टमैंटस के मुलाजिमों का कुछ और मंहगाई भत्ता बढायेगी?

(कोई उत्तर नही दिया गया)

**Primary School**

***855 Sh. Bihari Lal Balmiki:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the district-wise total number of village in the State in which Primary Schools existed as on 1st May, 1969 and as on 31st March, 1974, Separately; and

(b) the district wise number of villages in the State in which the Government intends to open primary School by the end of the financial year 1974-75?

**ि ाक्षा तथा परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):**

(क) एक सुची सदन की मेज पर रखी जाती है।

(ख) भून्य।

## सूची

**जिलावार गांवों की सख्या, जिसमे प्राईमरी स्कूल/कक्षायें उपलब्ध है।**

| क्रमांक | जिले का नाम | 01.05.69 को उन गांवों की संख्या जहां प्राईमरी स्कूल/कक्षाऐं उपल्बध हैं। | 31.03.74 को उन गांवों की संख्या जहां प्राईमरी स्कूल/कक्षाऐं उपल्बध हैं। |
|---|---|---|---|
| (1) | अम्बाला | 748 | 1089 |
| (2) | गुड़गांव | 1038 | 982 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (3) | हिसार | 999 | 766 |
| (4) | जीन्द | 255 | 337 |
| (5) | करनाल | 1199 | 523 |
| (6) | महेंन्द्रगढ़ | 497 | 669 |
| (7) | रोहतक | 743 | 440 |
| (8) | सोनीपत | –– | 322 |
| (9) | भिवानी | –– | 454 |
| (10) | कुरूक्षेत्र | –– | 700 |
| | टोटल | 5479 | 6282 |

**नोटः–** उपरोक्त आंकड़ो मे ऐसे ग्रामों की संख्या भी भाामिल है जिन ग्रामों मे प्राथमिक ि ाक्षा की सुविधाए 1 से 1.6 किलामीटर के अन्दर अन्दर प्राप्त हैं।

**चौधरी फूल सिंह मोलानाः** क्या मंत्री महोदया यह बतायेगी कि राज्य मे कुल कितने ऐसे गांव है जिनमे प्राईमरी स्कूल नही है?

**श्री मती प्रसन्नी देवीः** 449 ऐसे गांव है जहां पर प्राइमरी स्कूल नही है।

**चौधरी दल सिंहः** क्या मंत्री महोदया यह बताने कि कृपा करेगी कि साल 1974–75 मे सरकार हरियाणा प्रान्त मे और कितने प्राइमरी स्कूल खोलने जा रही है?

**श्रीमती प्रसन्नी देवीः** कोई नही।

**चौधरी दल सिंहः** क्या मंत्री महोदया यह बतायेगी कि इसका कारण क्या है?

**श्रीमती प्रसन्नी देवीः** इसलिए कि इसकी कोई खास जरूरत नही है। अब भी जो गांव बाकी है जिनमें प्राइमरी स्कूल नही है, उनके बिल्कूल पास के गांव मे स्कूल है और उनका कोई बहुत बड़ा फासला नही है। इसके अलावा पैसो की कमी वाली बात भी है।

**श्री गुलाब सिह जैनः** क्या मंत्री महोदया यह बताऐंगी कि इन 449 गांवो के अन्दर प्राईमरी स्कूल क्यो नही हैं।

**श्रीमती प्रसन्नी देवीः** इसलिये नही है क्योंकि वहा पर इसकी कोई जरूरज महसूस नही की गयी। जहां जहां पर जरूरत महसूस की गयी वहां वहां पर प्राईमरी स्कूल खोले हुए है।

**श्री अमर सिंहः** मंत्री महोदया ने यह फरमाया है कि 449 मे प्राईमरी स्कूल नही है तो क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगे कि वहां पर कम्पलसरी एजुके ान की कन्डी ान

फुलफिल हो रही है? अगर नही हो रही है तो यह उल्लघेन क्यों हो रहा है?

**श्रीमती प्रसन्नी देवीः** जैसे कि मैने अभी बताया है ये गांव ऐसे है जिनके बिल्कूल पास ही के गांव मे स्कूल है। इनमे से हमारा कोई भी ऐसा गांव नही है जिसका फासला 1.6 किलोमीटर से ज्यादा हो जहां पर कि स्कूल है या ये वो गांव है जो बहुत छोटे है ओर बच्चों की इतनी तादाद ही नही हो सकती कि हम अलग से स्कूल चला सकें।

**चौधरी ि ाव राम वर्मा :** क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगी कि इन्द्री की कांस्टीच्यूएंसी मे कितने ऐसे गांव है जिनमें प्राइमरी स्कूल नही है?

**श्रीमती प्रसन्नी देवीः** इसके लिए तो अलग से नोटिस देना पड़ेगा।

**चौधरी मेहर चन्दः** क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगी कि जो प्राइमरी स्कूल स्टेट मे ऐग्जीस्ट करते है, उनमे से लड़यिो के स्कूल कितने है?

**श्रीमती प्रसन्नी देवीः** इसके लिये भी अगलग से नोटिस देना पड़ेगा।

**राव बंसी सिंहः** क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ़ के अन्दर ऐसे कितने गांव है जहां पर प्राइमरी स्कूल नही है?

**ि ाक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक):** डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ मे ऐसे 23 गांव है।

**चौधरी दल सिंहः** स्पीकर साहब, मंत्री महोंदया ने अपने जवाब मे यह बताया था कि जहां पर स्कूल नही है, उनके आस–पास स्कूल है, इसिलए वहा पर नही खोले गये हैं। मंत्री महोदया यह फरमायेगी कि क्या इसका मतलब यह है कि आप का उन गावों के अन्दर स्कूल खोलने का इरादा नही है? अगर इरादा है तो कब तक खोल दैगे?

**श्रीमती प्रसन्नी देवीः** स्कूल तो सब जगह देगे लेकिन सवाल यह है कि यदि 1.6 किलोमीटर पर स्कूल है जो सभी बच्चे वहां पर जा सकते हैं। अगर जरूरत होगी तो बाद मे वहां पर भी स्कूल खोले देगें।

**चौधरी पीर चन्दः** क्यां मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगें कि उन्होने जो 449 गांव ऐसे बताये है जहां पर स्कूल नही है, वे कौन–कौन से जिले मे 43, हिसार मे 38, भिवानी 17, रोहतक मे 3, सोनीपत मे 7, गुड़गांव मे 142, जींछ मे 18 और नारनौल मे 23ण

**चौधरी फूल सिंह कटारिया:** क्या मंत्री महोदया यह बतायेगी कि इस बात के मद्देनजर कि छोटे छोटे बच्चों को धूप मे आना जाना पड़ता है, क्या वे यह महसूस नही करती कि बच्चे एक मील कैसे जाते है जबकि आजकल एक फर्लांग भी चलकर कोई राजी नही है?

**श्रीमती प्रसन्नी देवी:** एक मीलप नही, एक किलोमीटर कुछ प्वायंट फासला हे। यह मील से भी कम फासला है।

**श्री के.एन.गुलाटी:** जैसे कि मिनिस्टर साहब ने अभी फिगर्ज दी है।, उसमे गुड़गांवां के सबसे ज्यादा गांव है जहां पर प्राइमरपी स्कूल नही है, गुड़गांवा डिस्ट्रिक्ट के साथ यह बेइन्साफी क्यों है? (व्यवधान एंव भाोर)

**श्री माडू सिंह मलिक:** बेइन्साफी वाली तो कोई बात नही है।

**Bus service From Jhajjar to Chandigarh**

***893 Chaudhri Phul Singh Kataria:** Will the minister for Develpment be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Bus Sevice from Jhajjar to Chandigarh via Sonepat has been stopped; if so, the reasons therefor; and

(b) whether there is any prosoal under consideration of teh Government to resatart the same Bus Sevice from Jhajjar to Chandigarh via Digal, Rohtak and Gohana?

**ि ाक्षा तथा परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):**

(क) एक बस सेवा झज्जर से चण्डीगढ़ के लिए वरास्ता सोनीपत चार मास के लिए तजुर्बे के तौर पर चलाई गई थी। इसे घाटे पर चलने के कारण बन्द कर दिया गया।

(ख) जी, नही।

**चौधरी फूल सिंह कटारिया:** क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगी कि चण्डीगढ़ से हरेक सब–डिविजन के भााम के वक्त जबकि गाड़ी चलती है तो झज्झर पर को क्यों नही चलती?

**श्रीमती प्रसन्नी देवी:** झज्झर से होकर दो–तीन बसें जाती है। एक चण्डीगढ़ से रिवाड़ी वाया झज्जर जाती है एक चण्डीगढ़ से पुनहाना वाया झज्झर जाती है। इसलिये इसकी जरूरत नही समझी गयी कि अगल से इसके लिये गाड़ी चलाई जायें।

**चौधरी दल सिंह:** मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि घाटा रहा हैं। मै उनसे यह पुछना चाहता हूं कि चार महीनें मे कितना घाटा रहा है।

**श्रीतती प्रसन्नी देवी:** अगस्त के महीने मे एक रूपया पांच पैसे प्रति–किलोमीटर आमदनी हुई और एक रूपया सतर पैसे खर्च हुआ। इसी तरह से सितम्बर के महीने मे आमदनी 80 पैसे

प्रति किलोमीटर हुई और एक रूपया बाईस पैसे खर्चा हुआ। अक्तुबर के महीने मे 90 पैसे प्रति किलोमीटर इन्कम हुई और एक रूपया 26 पैसे प्रति किलोमीटर खर्चा हुआ है। इसी ढंग से नवम्बर मे 90 पैसे प्रति किलोमीटर इन्क हुई और एक रूपया 27 पैसे खर्चा हुआ।

**चौधरी मनफूल सिहः** स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने फरमाया कि तीन बसें चलती है। झज्झर से सुबह 10.40 बजे चलती है और 6.30 बजें पहुंचती है। इसके बाद कोई बस नही चलती।

**विकास मंत्री (कर्नल महा सिंह):** स्पीकर साहब, झज्झर से तीन बसें रिवाड़ी नारनोल होती हुई है और एक पुनहाना से चण्डीगढ आती है। बसें बहुत चलती है। स्पीकर साहब, इस बारे मे माननीय सदस्य तथा कटारिया साहक ने मेरे से कहा था। मै इसके बारे मे बता दूं कि अभी एक बस रोहतक से झज्जर तक इनकी सुविधा के लिए ऐक्सेटेड कर रहे है जो कि वहां भाम को पहुंचेगी और सुबह झज्जर से चला करेगी यहां दोपहर का पहूंच जाया करेगी।

**राव अभय सिंहः** क्या मिनिसटर साहब बताने की कृपा करेगे कि सरकार की कोई ऐसी स्कीम है कि हर जिला हैड क्वार्टर को चण्डीगढ़ से डिलेक्स बस से मिला दिया जाए?

**कर्नल महा सिंहः** अभी तो नही है।

**चौधरी रामप लाल वधवा:** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि बस सर्विस चलाने के लिए पब्लिक की तकलीफ को अहमियत दी जाती है या पैसे को?

**कर्नल महा सिंह:** पब्लिक की तकलीफ को और सदस्यों की तकलीफ को ख्याल मे रखते है।

**मलिक सतराम दास बतरा:** क्या मिनिस्टर साहब, बताने की कृपा करेगी कि क्या कभी इस बात का अन्दाजा लगाया गया कि कितनी ऐसी बसें है जो रोड पर जाती है और फिर पांच–छः महीने के बाद खडी़ हो जाती है?

**श्रीमती प्रसन्नी देवी:** इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए।

**Haryana Raodways**

***914 Sh. Siri Kishan Dass:** Will the Minister for developoment be pleasd to state—

(a) the per mile return of the buses of the Haryana Roadways in the year 1968 and 1974, Saparately;

(b) the averange breakdowns which took place in the Years 1968 and 1974] saparatly;

(c) the total number of technically qulified supervisory staff in the Raodways workshops at present with thier qualification; and

(d) the procedure adopted for the recruitment of the said staff in the workshop?

**ि ाक्षा तथा परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):**

| | | |
|---|---|---|
| (ए) | वर्श | हरियाणा राज्य परिवहन की बसों के प्रति मील रिटरन (पैसों में) |
| | 1967–68 | 29.8 |
| | 1973–74 | 6.7 |

(बी) 1967–68 मे कुल ब्रेक–डाउन की संख्या 883 थी और 1973–74 मे यह संख्या 1288 थी।

(सी) 6 कर्म ाला प्रबन्धक, 3 मकैनिकल डीगरी होल्डर्ज तथा 3 डिप्लोमा होलर्डज।

(डी) 2 कर्म ाला प्रबन्धको की पदोन्नति की गई और भोश 4 को तदर्थ आधार पर लगाया गया है।

**चौधरी दल सिंहः** मंत्री महोदया ने बताया है कि 1967–68 मे 883 ब्रेक डाउन थी और 1973–74 मे 1288 ब्रेक डाउन थी। यह इन्क्रीज किस लिए हुई?

**श्रीमती प्रसन्नी देवीः** स्पीकर साहब, उस वक्त बसें बहुत थोड़ी थी। उस वक्त 567 बसे थी और अब ये बढकर 1537 हो गई है। इसी तरह से बसों की तादाद बढनें के साथ–साथ ब्रेक

डाउन्ज की तादाद भी बढेगी लेकिन पहले के मुकाबल मे ब्रेक डाउन्ज की तादाद घट रही है।

**चौधरी फूल सिह कटारिया:** क्यां मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि ये ब्रेक–डाउन्ज कौन से डिपों से ज्यादा है?

**श्रीमती प्रसन्नी देवी:** इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

**Demand and Distribution of Chemical Fertilizers**

***918 Chaudhri Ram Parshad:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the total number of manure pits, if any, dug up before the onset of monsoon at various places in the State;

(b) the total quantity of manure availble in the State at present.

(c) the total demand of chemical Fertilizers in the State at present; and

(d) the total quantity that will be made available for distribution through various agencies.

**कृशि मंत्री (चौधरी भजन लाल):**

(क) जिला हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ, करनाल, कुरूक्षेत्र, सोनीपत तथा रोहतक मे 23,067 देसी खाद के गढे खोदे गये। और जिलों से रिपोर्ट बानी बाकी है।

(ख) राज्य मे उपल्बध देसी खाद की मात्रा से सम्बधित सूचना प्राप्य नही हैं।

(ग) साधारण रासायनिक खाद के रूप मे जहां खरीफ 1974 के लिए हमारी मांग 4,02,083 टन है, वहां रबी 1974–75 के लिए यह मात्रा 6,68,750 टन है और इस प्रकार कुल मांग 10,70,833 टन बैठती है।

(घ) साधारण खाद के रूप मे खीफ 1974 के लिए, सहकारी तथा निजि एजैन्सियों के माध्यम से वितरित करने हेतु 2,80,497 टन खाद अलाट किया गया है परन्तु रबी 1974–75 के लिए भारत सरकार ने कोई अलाटमैंट अभी तक नही की।

**चौधरी दल सिंहः** स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि 10 लाख टन खाद की कमी हरियाणा में हैं। क्या मंत्री बताने की कृपा करेगे कि इस कमी को मीट करने के लिए आप क्या उपाय कर रहे है, क्या सरकार इस कमी को पूरा करे सकेगी या नही?

**चौधरी भजन लालः** अध्यक्ष महोदय, भाायद आनरेबल सदस्य ने सुना नही है। मैने कहा था कि दस लाख टन की मांग है, डिमान्ड है, मैने यह नही कहा कि दस लाख टन की कमी है। सवाल जवाब में मैने बताया है कि खरीफ की फसल के लिए हमारी मांग 4 लाख टन है और भारत सरकार ने डेढ लाख टन खाद दे दी है। 1974–75 की रबी के लिए यह मांग 6 लाख 68

हजार 750 टन है। इस तरह से यह मांग 10 लाख टन हो जाती है।

**राव बंसी सिहः** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कितने खाद के गढे खोदे गए है और कितने और खोदने है?

**चौधरी भज लालः** महेनद्रगढ डिस्ट्रिक्ट मे 3 हजार 91 गढें खोदे गए है।

**चौधरी राम प्र ादः** क्या मंत्री महोदय इन गढों की जिलेवा संख्या बताने की कृपा करेगै?

**चौधरी भजन लालः**

| | |
|---|---|
| हिसार | 5137 |
| भिवानी | 1038 |
| महैन्द्रगढ | 3091 |
| करनाल | 1016 |
| कुरूक्षेत्र | 557 |
| सोनीपत | 7279 |
| रोहतक | 4953 |

**चौधरी मेहर चन्दः** अध्यक्ष महोदय पार्ट ए के जवाब मे बताया गया है कि मेन्योर पिटस खोदे गए। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि उनमे कितना रिफ्यूज डाला गया और उनमे खाद की कितनी क्वांटिटि तैयार होगी?

**चौधरी भजन लालः** अध्यक्ष महोदय, यह देसी खाद की बात है यह दूसरे खाद की बात नही है। गोबर जो है उसका कोई वजन नही किया जाता कि कितनी मात्रा में है कितना परसेन्ट वह पड़ा जो दे ाी खाद होती है उसमे वजन का सवाल नही होता।

**चौधरी मेहर चन्दः** अगर वजन का सवाल नही तो क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि कितने गढे है जिनमें रिफ्यूज डाला गया और कितने गड्ढे खाद तैयार होगा?

**चौधरी भजन लालः** टोटल गड्ढे जो खोदे गए है 23,067।

**चौधरी दल सिंहः** पार्ट ए के जवाब मे बताया है कि 23,067 गड्ढे खोदे गए क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि इस इन्फरमै ान का आधार क्या है। यह इन्फरमै ान कहां से मिली?

**मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लालः)ः** इस सूचना का आधार है कि हमारी खातिर ये गड्ढे खोदे जाए और हम इनकी खातिर गड्ढे खोदे जाए।

**श्री गौरी भांकरः** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि जिला जीन्द की जो सूचना नही आई इसका कारण यह तो नही कि वहां काम न भ्रुरू किया गया हो, वहां कोई गड्ढे वगैरह न खोदे गए हो?

**चौधरी भजन लालः** अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नही है। हर जिले मे डिप्टी कमीरूनर की चेयरमैनि ाप मे एक कमेटी बनी हुई हैं। बी.डी.प्रोज. के जिम्मे यह काम है और सारे आफिसर्ज की मिटिंग बुलाई जाती है। हर जिले मे काम स्टार्ट किया हुआ है। अभी दो–तीन जिलों की फिगर्ज नही आई है जब वे आ जाएगी तो आनरेबल मैम्बर को वे फिगर्ज भिजवा देगे।

**चौधरी ि ाव राम वर्माः** मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि जा गड्ढे खोदे गए है उनका साइज क्या है और उनमे कितना खाद तैयार हो सकेगा?

**चौधरी भजन लालः** स्पीकर साहब, जहां तक लम्बाई और गहराई का ताल्लूक है तीन फीट से साढे तीन फीट तक गहरे है। छः से आठ फीट चौड़ाई और 15 से 21 फीट लम्बाई है लेकिन खाद का वजन बताना कठिन है।

**चौधरी पीर चन्दः** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि जो जमींदार खाद के लिए गडढे खोदता है उसको सरकार ग्रान्ट देती है अगर नही तो ग्रान्ट देने की कोई स्कीम विचाराधीन है?

**चौधरी भजन लालः** गड्ढे खोदने के लिए ग्रान्ट देने की कोई बात नही है। अलब्ता गोबर गैंस प्लांट अगर कोई लगाना चाहे तो उसके लिए सरकार लोन देती है और सबसिडी भी देती है।

**चौधरी मनफूल सिहः** स्पीकर साहब, फर्ीलाइजर की कीमत दुगनी होने के लिए किसान खाद कम प्रयोग करेगा और इस वजह से अनाज कम पैदा होगा। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि खाद पर किसान को सबसिडी देने का सरकार को कोई विचार है?

**चौधरी भजन लालः** अध्यक्ष महोदय, जहां तक खाद के रेट का ताल्लूक है, इसमे कोई भाक नही कि कीमत काफी बढी है और हमने भारत सरकार से इसके लिए कहा है कि वह सबसिडी दे लेकिन सबसिडी के लिए वे नही मान रहे है। अब हमने सैन्ट्रल गवर्नमैट को कहा है कि वह किसानों जो खाद महंग भाव से खरीदकर डालनी पड़ती है, उसका घाटा मीट हो सके।

**चौधरी दल सिहः** मंत्री महोदय ने फरमाया कि सैन्ट्रल गवर्नमैट ने सबसिडी की डिमान्ड रिजैक्ट कर दी है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि खाद की कीमत बहुत बढ़ गई हैं, इस बात को ध्यान मे रखते हुए हरियाणा सरकार किसान को सबसिडी देने के लिए तैयार है और अगर देने के लिए तैयार है तो क्या सबसिडी है?

**चौधरी भजन लालः** अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन नही है।

**चौधरी ि ाव राम भार्माः** अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी बताया कि ऐसी कोई स्कीम सरकार के विचारधीन नही है, कोई ऐसी बात नही है, अगर सरकार यह सब–सिडी किसानो को न देगी तो इससे किसान लोग खाद को कम इस्तेमाल करेगे और अगर खाद कम इस्तेमाल की जाएगी तो उससे अनाज की पैदावार भी होगी और उस वक्त जो समस्या आपके सामने आएगी उनको विचार मे रखते हुए क्या सरकार किसानों को सस्ते भाव पर ज्यादा से ज्यादा खाद देने की कोि ा ा करेगी?

**चौधरी भजन लालः** स्पीकर साहब, जैसा कि मैने पहले बताया है कि खाद अगर मंहगे भाव का डालना पड़ेगा तो उससे किसानों का अनाज का भाव भी मंहगा मिलेगा इससे किसान को उसके अनाज की कीमत थोड़ी सी ज्यादा बढ के मिल जाएगी तो उस मे क्या फर्क पड़ेगा। खाद की लागत मे कोई अन्तर नही आएगा । जब किसान यह महसूस करेगा कि तेरे को 400 रूपए एकड़ का खाद डालना पड़ेगा उसमे 100 रूपये कट्टे की कीमत बढनें से या 200 रूपये कट्टे की कीमत बढने से जितना फर्क पड़ता है उतना भारत सरकार उसका भाव बढा होगी, उसमे किसानो को कोई फर्क नही पड़ेगा।

**श्री गौरी भांकरः** अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार कोई ऐसी बात पर विचार कर रही है कि यह जो गोबर है, उसको गड्ढो मे डलवाने का प्रबन्ध किया जा सके ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा खाद पैदा हो सके और इसके साथ साथ लोगो को गोस पाथने से रोकने का कोई कानून बनाने पर भी विचार कर रही है?

**चौधरी भजन लालः** अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई कानून बनाने की तो बात ही नही है लेकिन किसानो को यह बात जरूर कहेगे कि वे देसी खाद ज्यादा से ज्यादा बनाकर गोबर गैंस प्लाट लगा करके देसी खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।

**श्री अमर सिहः** अध्यक्ष महोदय, अभी मिनिस्टर महोदय ने डिस्ट्रिक्ट–वाइज गड्ढों के आकड़ें बताये है। क्या उनके पास कोई ऐसी रिपोर्ट भी आई है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मे गड्ढे तो खोद दिये गये है पर उनक मे खाद डाली गई है?

**चौधरी भजन लालः** अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास तो नही आई कि गड्ढो मे खाद ही न डाली जाए। हो सकता है कि आनरेबी मैम्बर के लिए नोटिस मे कोठ ऐसी बात हो तो वे सरकार के नोटिस मे लांए हम इसके लिए पूरी कोि ा ा करेगे। वैसे यह बात तो किसानो के अपने हित मे ही है। किसान खुद हर बात को देखता है, सोचता है और करता है।

**चौधरी राम लाल डागरः** क्या मिनिस्टर साहब बतनाले की कृपा करेगे कि खाद की मंहगाई की वजह से किसानों को निरा ाा है?

**चौधरी भजन लालः** अध्यक्ष महोदय, इस के बारे मे मै पहले ही बता चूका हूं कि इसमे निरा ा होने की कोई बात नही है। जहां खाद के भाव बढे है उसके साथ साथ ही भारत सरकार अनाज के भाव भी बढाने पर विचार कर रही है।

**चौधरी ि ाव राम वर्माः** अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेगें कि किसानो को खाद इस्तेमाल करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के सिलसिलें मे, क्या सरकार बहुत ही जल्द अनाज के भाव ऐलान करने का विचार रखती है?

**चौधरी भजन लालः** अध्यक्ष महोदय, हमने भारत सरकार को लिखकर भी भेजा है। अभी हाल ही मे एक मीटिंग भीहुई थी। श्री सुब्राह्मानयम परसां चण्डीगढ़ भी आए थे उनके सामने भी हमने कई सम्सयाएं रखी थी कि पैडी की सोईंग भाुरू है अतः खरीफ की फसल की प्रोक्योरमैंट प्राइस अनाउंस करनी चाहिये ताकि उससे किसानों को पता चल सके कि उसकी पैडी किस भाव पर बिकेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार बहुत जल्द ही भाव अनाउंस करने वाली हैं।

**चौधरी पीर चन्दः** अध्यक्ष महोदय, अनाज की बढती हुई कीमत पर सरकार का ध्यान है। क्या हरिजनों और गरीब आदमीयो , जिन का रोजगार भी कम हो गया है, उन्हे कोई सबसीडी देकर या उनके कलए कोइ नये डिपोज खोलकर उन्हे सस्ते दामो पर खाद दिलवानें की सरकार कोि ा ा करेगी?

**चौधरी भजन लालः** अध्यक्ष महोदय, यहा पर डिपोज का सवाल नही है, खाद की बात है और खाद जितना भी आता है वह को–ओप्रटिव सोसाइप्रेटीज की मारफत बिकता है, प्राइवेट लोगा को सरकार ही नही है।

**चौधरी फूल सिंह कटारियाः** अध्यक्ष महोदय, जैसे इन्होने कहा कि अनाज का भाव तो तेज हो जाएगा और जमींदारों की यह ख्वाहि ा भी है कि भाव तेज हों लेकिन सके साथ साथ क्या गरीब जनता का भी सरकार ख्याल रखेगी कि उन को अनाज ज्यादा मंहगा न दिया जाए?

**चौधरी भजन लालः** अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का इससे कोई सम्बन्ध नही लेकिन मै फिर भी बता सकता हूं कि भारत सरकार हर बात का ध्यान रखती है पैदा वाले का भी ध्यानप रखती है और खाने वाले का भी ध्यान रखती है।

**चौधरी प्रताप सिह दौलताः** स्पीकर साहब, क्या वजीर साहब यह बताऐगे कि जब यह हरिजन बच्चे पैदा करते है तो गेंहू पैदा करने वालों से परमिट कटवा करके पैदा करते है? (हंसी)

**Buses of Haryana Raodways**

***936. Rao Abhai Singh:** Will the Minister for development be pleased to state—

(a) the total number of routes on which the Haryana Raodways buses are being plied in the State as on 31st March, 1974;

(b) the approximate total number of passengers travel in Haryana Roadways per day; and

(c) the approximate total number of kilometers which the buses cover per day?

**ि ाक्षा तथा परिवहन मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):**

(क) 739।

(ख) 3.89 लाख (मार्च, 1974)।

(ग) 3.85 लाख किलो मीटरज (मार्च, 1974)।

**राव बंसी सिंह:** अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेगी कि हरियाणा रोड़वेज की बसों मे सीटस की रिजर्वे ान्ज के लिए महिलाओं के लिए कोई अलग महत्व दिया जाता है।

**श्रीमती प्रसन्नी देंवी:** अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई दिक्कत महसूस नही होती, वैसे महिलाओ के बैठने के सिलसिले मे पहले ही ध्यान रखा जाता हैं।

**राव बसी सिंहः** अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदया यह बतायेगी कि जब से वे मंत्री बनी है, उसके बाद कभी इन्होने हरियाणा ट्रांसपोर्ट की बस मे सफर किया है और क्या उन्होने यह कभी महसूस किया है कि महिलाओं के लिए अलग सीट्स की कोई आव यकता नही है?

**श्रीमती प्रसन्नी देंवीः** अध्यक्ष महोदय, सफर तो मैने पहले भी नही किया होगा, वैसे मै आते जाते देखती रहती हूं कि ऐसी कोई दिक्कत महसूसर नही होती है।

**मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल)** अध्यक्ष महोदय, मैने चीफ मिनिस्टर बनने के वाद बसों मे सफर किया है, बाजोकात जरूरत पड़े जाती है, जैसा आप कह रहे है।

**चौधरी दल सिहः** अध्यक्ष महोदय, क्या मिनिस्टर महोदया यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् 1974–75 मे और किते रूटो पर हरियाणा सरकार बसे चलाने का विचार रखती है?

**श्रीमती प्रसन्नी देंवीः** अध्यक्ष महोदय, जैसे जैसे मांग आती जाएगी, और बसे मिलती जाएगी उनके मुताबिक जरूरत को देखते हुए बसे चलाई जाएगी।

**चौधरी राम लाल वधवाः** अध्यक्ष महोदय, क्या मिनिस्टर महोदय यह बतलाने की कृपा करेगी कि 31.03.70 को सरकारी और प्राईवैट कितनी कितनी बसे चलती थी और इसी तरह से 31. 03.74 को कितनी कितनी?

**विकास मंत्री (कर्नल महा सिंह):** स्पीकर साहब, यह सप्लीमैंट्री तो इससे पैदा ही नही होती लेकिन मै फिर भी बता देता हूं कि जो हरियाणाप रोडवेज की बसिज चलती थी उनकी संख्या 728 थी। प्राइवेट बसों की फिगर्ज इस समय मेरे पास नही हैं।

**Mr. Speaker:** This Supplementary does not arise out of this Question.

**चौधरी बंसी लाल:** स्पीकर साहब, सब से बाद मे प्राइवेट आप्रेटर्ज मे से इसने पीछा छोड़ा थ और रिट कराके आखिरी इसकी आई थी।

**Mr. Speaker:** The Question of private buses does not arise out of this question.

**चौधरी फूल सिंह कटारिया:** अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर महोदया ने अभी बताया कि जैसे जैसे डिमांड होगी वैसे वैसे गाडिया चलाई जाएगी, मै मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि जो बैकवर्ड इलाके है जहां पर बिल्कूल सड़के बनी पड़ी है और वहां पर बसें नही चलती। जैसे झज्झर का और साहलावास का एरिया है, वहा पर क्या उन एरियाज मे बसों को प्रेफरेन्स दी जाएगी क्योकि लोगो को वहां पपर बड़ी दिक्कत पे ा आ रही हैं?

**श्रीमती प्रसन्नी देवी:** अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैंम्बर अगर किसी खास जगह के बारे मे बताए तो वहों पर जरूरत के

मुताबिक बसें चलाने की कोि ा ा की जाएगी वैसे बैक्वर्ड एरिया का तो पहले ही बहुत ध्यान रखा जाता है?

**श्री अमर सिंहः** अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा केरगे कि जो गांव रोड्वेज से कनैकटिड है उन सभी गांवो मे बस सेवा कब तक चालू करने का सरकार का टारेगेट है।

**कर्नल महा सिहः** यह तो नही कहा जा सकता कि बस सेवा कब तक देगे लेकिन दी जरूर जाएगी।

**राव अभय सिहः** क्या मंत्री महोदय यह बतनले की कृपा करेगे कि आज कल जो लम्बे रूट्स की बसे चलाई जाती है उनमें बड़ी भीड़–भाड़ और इसके कारणप क्या सरकार रिवाडी तहसील में जो लोकल रूटस है उन पर कोई लोकल बसें चलाने का विचार रखती है?

**कर्नल महा सिहः** अध्यक्ष महोदय, वहां पर काफी बसे चलाई गई है और हर महीने हम एक आध नया रूट लोकल बस का पकड़ते जा रहे है ओर जहां पर सवरियां ज्यादा होती है वहां पर हम नई बसे इट्रोडयूस कर देते है। खाली बस तो नही चलाई जा सकती है।

**श्री के.एन. गुलाटीः** अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदया यह बताएगी कि फरीदाबाद टाऊनि ाप की बढती हुई आबादी को देखकर, लोगो की तकलीफो का ध्यान रखते हुए कोई ऐसा प्रबन्ध

किया जा सकता है कि जिस से दिल्ली मथुरा रोडज़ से जो बसें निकल जाती है, टाउनि ाप से निकलकर डी.टी.यू. बस स्टैंड को क्रास करेंद्य क्या सरकार ऐसे सुझावो पर विचार करने की कृपा करेगी?

**श्रीमती प्रसन्नी देवीः** अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस प्र न का इस सवाल से कोई ताल्लूक नही है। वैसे मै आनरेबल मैम्बर ही जानकारी के लिए बता देती हूं कि फरीदाबाद टाउनि ाप में पहले ही लोकल बस सर्विस काफी दी हुई है। ऐसा कोई जरूरी नही है कि लम्बे रूट्स की बसें भाहर के अन्दर से होकर के जाए।

**जगजीत सिंह टिक्काः** अध्यक्ष महोदय, जैसे मिनिसटर साहब ने फरमाया कि रिवाडी मे नए रूट्स जारी किए जा रहे हे। क्या सरकार केवल रिवाड़ी मे ही नए रूट्स जारी करेगी या और दूसरी जगहों पर भी नए रूट्स जारी करने का सरकार का विचार है?

**कर्नल महा सिहः** अध्यक्ष महोदय, इनके अम्बाला मे तो पहले ही काफी रूट्स जारी कर रखे है और अम्बाला डिपों मे सब से ज्यादा बसे है।

**चौधरी पीर चन्दः** अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताएगे कि क्या सरकार का मिनि लोकल बसिज चलाने का कोई इरादा है?

**कर्नल महा सिहः** नही।

**चौधरी पीर चन्दः** क्या मंत्री महोदय बताऐगे कि जहा लाकेल बसे चलती है वहा मिनि बसे चलाई जाएगी?

**कर्नल महा सिहः जी** नही।

**चौधरी मेहर चन्दः** क्या पमंत्री जी बताएगे कि मेरी कांसटीच्यूऐंसी जो हिसार के पास है वह बहुत नैगलैक्टिड एरिया है वहां पर सड़के नही है और कच्चा रास्ता है तो कच्चे रास्ते पर बसे चलाई जाएगी?

**कर्नल महा सिहः** कच्चे रास् तों परा बसे नही चलाई जा सकती। पहले आप पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब से रिकवैस्ट करें कि वे वहां सड़के बनवाए।

**श्री गौरी भांकरः** क्या सरकार कोई ऐसा विचार कर रही है कि अगर लोकल बसे ज्यादा चला दी जाए तो जो लौंग रूटस की बसे है उन मे र ा कम हो जाए और जो भााम के वक्त जाने वाली 15–20 मील वाली सवारियां है वे उन लोकल बसों मे जा सके?

**श्रीमती प्रसन्नी देवीः** जहां जहां लोकल बसों की जरूरत समझी जाती है वहां वहा चलाई जाती है। जहां तक मुझे ध्यान है जीन्द के बहुत सारे गावों को भााम को बसे जाती हे। अगर आनरेबल मैंम्बर के ध्यान मे कोई ऐसा केस हो तो बताए।

**चौधरी मनफूल सिहः** क्या मंत्री महोदय बताएगी कि छूछकवास के झज्जर तक लोकल बसे चलाई जाएगी?

**श्रीमती प्रसन्नी देवीः** अभी नही।

**श्री.के एन. गुलाटीः** क्या मंत्री महोदया बताएगी कि हरियाणा की बडी़ बड़ी म्यूनिसीपल्टियां या फरीदाबाद कम्पलैक्स यदि अपने बजट से मिनी लोकल बसें चलाए तो सरकार इसके लिए इजाजत देगी?

**श्रीमती प्रसन्नी देवीः** इस वक्त सरकार की मिनी बसिंज को चलाने की इजाजत देने की नीति नही है बल्कि रूटों पर हम टैम्पापे का परमिट देगे।।

**मलिक सतराम दास बतराः** क्या मंत्री महोदया की कृपा करेगे कि कण्डक्टर और ड्राइवर की रोज 8 घंटे की डियूटी दी जाती है या माइलेज के हिसाब से दी जाती है?

**कर्नल महा सिहः** कंडक्टर और ड्राईवर से रोज 8 घन्टे की डियूटी ली जाती है और अगर इससे ज्यादा टाईम लग जाए तो उसको ओवर टाईम दिया जाता है।

**चौधरी ि ाव राम वर्माः** क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि उनके हल्के इनदरी मे भााम को कितनी बसे ठहतरती है।?

**श्रीमती प्रसन्नी देवीः** आनरेबल मैम्बर इन्दरी की चिन्ता न करें अपने हल्के की कोई तफलीफ हो तो बताए।

**चौधरी मनफूल सिहः** मंत्री महोदया ने बताया कि झज्ण्र के छुछकवास के लिए बसैं अभी नही चलाई जाएंगी। मेरा निवेदन है कि इस रूट के बीच 10–12 गांव पड़ते है इस लिए वहां पर बसे चला दी जाए?

**श्रीमती प्रसन्नी देवीः** अगर जरूरत होगी तो चला देंगे।

**चौधरी फूल सिह कटारियाः** मंत्री महोदय ने बताया कि कंडक्टरां और ड्राइवरों को ओवर टाईम दिया जाता है तो क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेगे कि ज्यादा से ज्यादा कितना ओवर टाइम दिया जाता है?

**कर्नल महा सिहः** अगर कोई कंडक्टर और ड्राईवर एक घंटा ओवर टाइम काम करता है तो उसको नामर्ल डियूटिी के दो घंटो के बराबर का ओवर टाईम दिया जाता है। हम कोि ा ा कर रहे है कि ओवर टाईम देने की बजाए हम स्टाफ ज्यादा रखें और डयूटी 8 घंटे की हों।

**लाला रूलिया रामः** क्या मंत्री महोदया बताएगी कि कई बसें बस स्टैंडों से एक फरलांग इधर या उधर ठहरती है। जैस घरोडा मे हे तो क्या इस ि ाकायत को दूर करने की कोि ा ा की जाएगी?

**श्रीमती प्रसन्नी देवीः** सभी जगह ऐसा नही होता है। कही कही ऐसी ि ाकायत है लेकिन जो ड्राईवर ऐसे करते पकड़ा है उसको सजा दी जाती है।

**कर्नल महा सिहः** घरोंडे की दिक्कत को दूर किया जाएगा।

**राव अभय सिहः** रिवाड़ी तहसील मे बहुत से गांवो मे लोकल बसों की मांग है क्या इस मांग को पूरा किया जाएगा?

**श्रीमती प्रसन्नी देवीः** जी हां, वहां पर कई गावों की मांग है। हमने कुछ रास्तों पर तो बसे चला दी है ओर कुछ रासतों को अभी ले रहे है।

**श्री अमर सिहः** मंत्री महोदया ने अपने जवाब मे आना है कि बहूत सी जगह से ऐसी ि ाकायते आई है कि बसे स्टैंड से एक फरलांग की दूरी पर रूकती है। तो क्या ओवर क्राउडिंग की वजह से तो नही होता है? अगर ऐसा है तो इसे रोकने के क्या उपाय किए जा रहे है?

**श्रीमती प्रसन्नी देवीः** बहुत सी जगह तो मैने नही कहा मैने तो कहा था कि कही कही ऐसा हो जाता हैं। ऐसे केस मैने एक दो जगह पकड़े भी है और हमारा स्टाफ भी इन चीजो को चैक करता है जहां ऐसा जानबूझ कर किया जाता है लेकिन मेरे ख्याल मे ऐसा सवारियां ज्यादा होने की वजह से ही किया जाता है इसके लिए मै पहले ही कह चुकी हूं कि जैसे जैसे हमोरे पास बसे आती जाएंगी हम उन्हे रूट्स पर लगाते जाएगें।

**मलिक सतराम दास बतराः** क्या मंत्री महोदय बताएगें कि एक ड्राईवर की आठ घंटे की डियूटी खत्म होने पर उसी बस का दूसरा ड्राईवर पकड़ लेता है तो क्या यह तरीका गल्त नही है?

**कर्नल महा सिहः** हमारी कोि ा ा यही है कि एक बस ड्राइवर के पास ही रहे, लेकिन चूंकि ड्राईवर छुट्टी पर भी जाता है, बीमार भी हो जाता है ओर उसे ट्रेनिंग पर भी जाना पड़ जाता है इसलिए बदलना पड़ जाता है।

**श्री बिहारी लाल बाल्मीकीः** क्या मंत्री महोदय बताएगें कि हसनपुर क्षेत्र मे केवल एक एक बस चलती है और इस सम्बन्ध मे कई दफा मंत्री महोदय से डेपुटे ान भी मिला है कि ज्यादा बसे चलाई जाएं। तो क्या ज्यादा बसे चलाई जाएगी।

**कर्नल महा सिहः** जैसे जैसे हमारे पास बसें आती जाएगी और जहां जहा पर मांग्र है हम बसें देते जाएगें।

**श्री अमर सिहः** क्या मंत्री महोदया बताएगें कि 70 प्रति ात बसों के कंउक्टर और ड्राइवर रोजाना बदलते है और तकरीबन 30 प्रति ा त परमानैंट है। अगर ऐसा है तो क्या इसकी वजह से बसिज मे गड़गड़ नही होती?

**कर्नल महा सिहः** एक बस के ऊपर 1.3 के हिसाब से ड्राइवर होता है इनका हम बिठा कर नही रख सकते, इनसे भी काम लेना पड़ता है। मैने पहले भी बताया था कि छुटटी और ट्रेनिंग वगैरह की वजह से ड्राइवरों पड़ता है।

**Cases Pending with industrial Tribunal/Labour Court Faridabad**

***925. Sh. Girish Chander Joshi:** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the number of cases pending with the Tribunal/Labour Court at Faridabad as reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act. 1947;

(b) The number of cases pending with the Tribunal/Labour Court at Faridabad under Section 32-C(2) of I.D. Act, 1947;

(c) The number of cases settled in the State; and

(d) the number of cases pending before the Government for reference?

**Development Minister(Col. Maha Singh):** The information as on 31-05-74 is as under:-

(a) 487

(b) 778, These cases are under Section 33-C(2) of the Industrial Disputes Act, 1947.

(c) 515, from 1.06.1973 to 31.05.1974.

(d) 71.

**श्री गिरी ा चन्द्र जो ीः** मंत्री महोदय ने जवाब के ए और बी पार्ट मे बताया कि 487 और 778 केसिज है तो क्या बताने का कश्ट करेगें कि कितने अर्से से से पैडिंग है?

**Col Maha Singh:** Theses case are pending as on 31st May, 1974. These are the figures of the last 12 Months. Out of 487, 224 cases were pending with the Industrial Tribunal and 263 cases with the Labour Court.

**चौधरी दल सिंहः** क्या मंत्री महोदय बताएगें कि ए और बी के तहत जो केस बनाए गए है उनमे से एक साल पुराने कितने है, दो साल पुराने कितने है?

**Col Maha Singh:** These figures are for the last 12 months. More data can be collected for which notice is required.

**चौधरी राम लाल वधवाः** ये जो केस बताए गए है, बहुत ज्यादा है। क्या मंत्री महोदय बतायेग कि इण्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट को अलग अगल बना दिया जाएगा ताकि मजदूरो का रिलीफ मिल सकें?

**Col Maha Singh:** There are two separate courts, But at p9resent there is only one Presiding Officer. He is presiding over two courts. Thee matter regarding appointment of a separate Presiding Officer for the Labour Court is under consideration of the Government.

**श्री के.एन.गुलाटीः** क्या मंत्री महोदय बताएगें कि जो केसिज पैंडिंग है। उनका फैसला जल्द करने के लिए एक–एक लेबर कोर्ट और ट्रिब्ययूनल और खोलेंगे?

**कर्नल महा सिंहः** इस वक्त ऐसा कोई विचार नही है।

**चौधरी मनफूल सिहः** बजीवर साहिब न फरमाया है कि 71 केसिज गवर्नमैंट के पास रैफ्रेंस के लिए है, मै पूछना चाहता हूं कि यह कब रैफर हुए थे?

**कर्नल महा सिंहः** स्पीकर साहब, यह इसी साल के है, 31 मई 1974 को गवर्नमैंट के पास 71 केसिज एग्जामिने ान के लिए थें।

**चौधरी राम लाल वधवाः** क्या वजीर साहिब बताएगें कि इन केसिज मे डिसमिसल के कितने केसिज है?

**कर्नल महा सिंहः** डिसमिसल के केसिज थे यह तो मै इस वक्त नही बता सकता लेकिन पिछले 12 महीनों मे 1870 केसिज एक साल के अन्दर आए। Of these, 515 were settled to the satisfaction of the disputant parties; 227 were withdrawn by the workers/unions; 228 were filed either because the workers did not pursue or no Industrial Dispute exist; 22 were referred for arbitrating; arbitration; 179 were rejected for reference to Court; 195 were referred to the Court; 284 were pending with the Conciliation Officers for enquiry and settlement; 89 cases are pending with the Labour Commissioner and 71 are pending with the Government.

**Urban, Semi-Urban or Rural Evacuee Land**

***941. Chaudhri Chand Ram:** Will the minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether there is any Urban, Semi-Urban for Rural Evacuee Land in the Tehsil Panipat, District Karanal, Which is still to be auctioned; if so, the details thereof;

(b) the area of Agricultural Evacuee un –allotted land in villages Beholi and Goli in tehsil Panipat in the years 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 and 1969 separately;

(c) whether there is still any Evacuee un-allotted land under the unauthorized p9ossession of any person in Tehsil Panipat; if so, the details thereof;

(d) whether any Evacuee land has been sold/auctioned/transferred in Tehsil Panipat (Karnal District) or Tehsil Thenesal (District Kurukshetra) to non-scheduled Castes persons since 1962-63; is so, the details of such land along with reasons thereof; and

(e) the time by which all the exiting unclothed Evacuee Lands will be auctioned amongst members of Scheduled Castes in the whole of Haryana

**Mr. Speaker:** Next question please. The time for replaying to this question is extended. The communication received by me in this connection is as follows:

चिरंजी लाल

अर्धसरकारी पत्र, क्रमांक 9323/ज-I

राजस्व मंत्री, हरियाणा सरकार,

पुनर्वास विभाग,

चण्डीगढ दिनाकं 12 जुलाई 1974

विशयः चौधरी चांद राम, सदस्य हरियाणा विधान सभा द्वारा पूछा गया तारांकित प्र न नम्बर, 941, क्या करनाल जिला की पानीपत तहसील मे भाहरी, सब– ाहरी और ग्रामीण निकासी भूनिम बेचने के लिए उपलब्ध है यदि है तो उसका विरण वर्श 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 तथा 1969 मे तहसील पानीपत के ग्राम बहोली तथा गोली मे कितनी कृशि योग्य बिला अलाट ुदा निकासी भूमि थी, का अलग–2 विवरण क्या अभी निकासी बिला अलाट ुदा भूमि तहसील पानीपत मे किसी व्यक्ति के नाजायज कब्जे मे है, यदि है तो उसका विवरण क्या निकासी भूमि स्थित तहसील पानीपत जिला करनाल तथा तहसील थानेसर (जिला कुरूक्षेत्र) मे वर्श 1962–63 से किसी गैर हरिजन को बेची/नीलाम/अन्तरण की गई यदि ऐसा है तो भूमि का विवरण तथा ऐसा करने का औचित्य दिया जाए– हरियाणा राज्य मे बिला अलाट ुदा उपलब्ध निकासी भूमि जो पिछड़े वर्ग मे बेची जाती है का कितना समय लगेगा, के बारे मे सूचना–जिसका उत्तर 16.07. 1974 को नि चत है।

प्रिय श्री सरूप सिंह जी,

कृपया ताराकित विधान सभा प्र न नम्बर 941 जो 16. 07.1974 की सूची मे चौधरी चांद राम, सदस्य हरियाणा विधान सभा के नाम है की और ध्यान देने का कश्ट करे। इस प्र न का

उत्तर अभी तक तैयार नही है क्योकि जो सूचना राज्य के सभी तहसीलदार (बिक्रियों) से मांगी गई है वह अभी तक प्राप्त नही हुई है। इस सूचना के एकत्रित करने के लिए समय चाहिए। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप इसका उत्तर 04.08.1971 तक बढाने की स्वीकृति दें। इस प्र न को 04.08.1974 के बाद किसी तिथि को उत्तर के लिए नि चत कर दिया जाए।

आपका

हस्ताः

(चिरंजी लाल)

**चौधरी चांद रामः** स्पीकर साहब, यह तो बड़ा मामूली सा सवाल था यह इंफरमे ान तो गवर्नमैंट के पास अवेलेबल होती है।

**श्री अध्यक्षः** 31 जुलाई तक इसका टाईम एक्सटैंड कर दिया गया है।

**Sugar mills**

***774. Sh. Dhaja Ram:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the names of the place where sugar Mills were set up in the State during the years 1972-73 and 1973-74; and

(b) whether there is any proposal under consideration of teh Government to set up any new sugar Mills in the sugar-cane areas in the State during the year 1974-75?

**State Minister for Co-Operation and Local Government (Chaudhri Goverdhan Dass Chauhan):**

(a) Nil

(b) yes

Revision of pay Scales

***768. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Finances be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to revise the pay scales of the Government employees in the State; if so, the details thereof?

**Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mittal):** No.

**चौधरी राम लाल वधवा:** क्या वजीर साहिब बतायगें कि प्राइस इंडैक्स जब बढा है तो क्या कारण है कि उनके पे स्केल्ज जो है वह रिवाईज नही किए जाते?

**श्री राम सरन चन्द मितल:** स्पीकर साहब, सन् 1969 मे पे स्केलज रिवईज हुए थे उसके बाद कई तरह के अलाउंस दिए गए है, इसलिए अब जनरल रिविजन की आव यकता नही हैं।

**Road from Hissar to Loharu**

***784 Sh. Amar Singh:** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether it is a fact that a portion of 3 Miles of the road leading from Hissar to Loharu via Mangali-Shirwa near harita is yet to be completed; if so, the steps taken by the Government to complete the same and the times by which it is likely to be completed?

**Revenue Minister (Pardit Chiranji Lal Sharma):**

(1) Yes, the road is incomplete and a length of 6.20 K.M. has not so far beer constructed. The correct name of the scheme is the construction of road from Hissar Saharwa-Iwsharwal road-section-Hissar Miran upto Tosham Siwni Raod.

(2) In view of the small outlay for roads in the 5th Five Years plan recommended by the Planning Commission, no target date can be fixed for completing the incomplete portion of this road.

**श्री अमर सिंहः** क्या आनरेबल मिनिस्टर साहिब के नोटिस मे है कि इस 44 मील लम्बी रोड मे सिंर्फ 2.6 किलोमीटर का टोटा जिस पर मिट्टी भी पड़ी हुई है न बनने की वजह से सारा रास्ता रूका हुआ है? अगर है, तो वह कब तक बना दिया जाएगा?

**Pandit Chiranji Lal Sharma:** Sir, I Just submitted that the road is incomplete. As for plying of buses on this road, I have no know ledge.

**Plans of the Factories**

***761. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state—

(a) the district-wise total number of plans of factories which are proposed to be installed in the State and are lying pending with the Town and Country planning Department for approval; and

(b) the district wise number of such plans which are lying p9ending for the last six months, one year and two years, separately?

**Social welfare and taxation Minister (Shri Shyam Chand):**

(a) The district wise break up to building plans of factories which were pending as on 1-06-1974 with the Town and Country Planning Department is as under:-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | District Gurgaon | 51 |
| (ii) | District Kurukshetra | 1 |
| (iii) | District Hissar | 4 |
| (iv) | District Bhiwani | 1 |

(b) No plans have been pending for more than three months.

**Mr. Speaker:** Question hour is over please.

**चौधरी दल सिंह:** स्पीकर साहब, मेरा क्वे चन 789 रह गया था, अभी पांच मिनट का समय रहाता है, इस लिए उस का

जवबा अगर आ जए तो मेहरबानी होगी। मै सप्लीमैंटरी नही पूछूंगा।

**Mr. Speaker:** No please, The hon. Member was not present in the House at that time.

**Chaudhri Chand Ram:** Sir, there are still five minutes to three.

**Mr. Speaker:** The hon. Member did not authorize anybody else to put the question on his behalf.

## ध्यानपकर्शण प्रस्ताव

**Mr. Speaker:** There is call attention Motion of Sh. Ram Lal Wadhwa and Chaudhri Shiv Ram Verma regarding a matter of urgent public importance pertaining to an alleged incident of Barwala District Hissar of July 10, 1974. The notice is admitted. The Hon. Member may read his Call attention Motion.

**Chaudhri Ram Lal Wadhwa (Karnal):** Sir, we beg to draw the attention of the House to a matter of urgent public importance that a sensational news had appeared in the Times of India dated 15th July, 1974, that 15 tranders of Barwala in Hissar District tied with ropes were made to run like cattle's through the bazaars and streets of the is of urgent public importance. It relates to the Law and Order of the Home Minister Haryana to make a statement on the incitement. There is great resentment and terror in the public on account of this incident.

We beg to give notice for Call Attention to a matter of urgent Public importance under rule 73 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly and request the Government to make a statement on the incident.

It papered in the Newspapers that a minor alteration between Mr. Prem Lal young Shop-keeper and a Police Constable over a trifle issue led to a scuffle between them. It is reported that a Police Constable in plain clothes was standing in front of shop of Mr. Prem Lal. Mr. Prem lal asked him if he wanted some thing from his shop. The Constable retorted angrily by saying what was there with the Shop-Keeper? Hot words exchanged and scuffle followed.

The Policeman bought five other Constables in uniforms and thrashed the boy in the main street after taking him from the local bus Stand. This enraged the traders and they pulled down the shutters and collected in front of the police Station. They raised slogans and threw the stones when the main gate of the Police Station was closed. On seeing the crowd disappeared. Drama ended at 10.30 P.M.

Next morning Police has taken into custody about 15 traders. They were allegedly subjected to third degree methods in the Police station. In the evening, they were paraded in the Town With only under wars on. Many shops were closed in panic against the police atrocities. This is the worst type of incident of police atrocities in Haryana.

This news has spread great panic and terror in the State. The situation arise from the news is most serious and

requires immediate attention of the Haryana Government as will as the House of Haryana Assembly.

**Chief Minister (Chaudhri Bansi Lal):** 26th.

**Mr. Speaker:** The statement will be made on the 26th July, 1974.

**चौधरी चांद रामः** स्पीकर साहब, दो काल अटै ांन मो ान मैने भी दिए थें।

**Mr. Speaker:** There are two Call Attention Motions by Chaudhri Chand Ram and another on the same subject. They are pending because Only one matter can be raised at one sitting.

**चौधरी चांद रामः** स्पीकर साहब, एक तो पहले आई थी और एक बाद मे आई थी।

**Mr. Speaker:** This is under examination . . .. . . (Interruption) This is not signed by anybody.

**श्री अमर सिंहः** स्पीकर साहब, मैने तो साईन करके भेजी थी।

**Mr. Speaker:** Those two motions are pending.

**Sh. Amar Singh:** My Call Attention Motion is also pending?

**Mr. Speaker:** Yes.

**चौधरी चांद रामः** स्पीकर साहिबा, वह कौन सी थी जो साईन्ड नही है।

**श्री अध्यक्षः** जो आज आई थी।

## कार्य मंत्रणा समिति का तृतीय प्रतिवेदन

**Mr. Speaker:** I present the Third Report of the Business Advisory Committee.

The Committee, after some discussion, Recommended that the Business on 16th July, 1974, be transacted as follows—

**16 July, 1974**

I. Questions Hour.

II. Third report of the Business Advisory Committee.

III. Presentation of second Preliminary Report of the Committee of Privileges and asking for extension of time for the presentation of the final Report.

IV. The Haryana Canal and Drainage Bill, 1973, as reported by the Select Committee.

The Committee further recommended that Sabha might also meet on the 17th July, 1974, to resume the consideration of the Haryana Canal and Drainage Bill, 1973, as reported by the Select Committee, if it was not passed on the 16th July, 1974. The Honse will meet again on 26th July, 1974, at 2.00 P.M. to consider the remaining Business.

**Chief Minister (Chaudhri Bansi Lal):** Sir, I beg to move

That this House agrees with the recommendations contained in the Third Report of the Business Advisory Committee.

**Mr. Speaker:** Motion Moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the Third Report of the Business Advisory Committee.

**Mr. Speaker:** Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the Third Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

## वि ोशाधिकार समिति का द्वितीय प्रारम्भिक प्रतिवेदन तथा समय बढाना

**15.00 बजे**

**Shri Gulab Singh Jain (Chairman of the Committee of privileges):** Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges of the Haryana Vidhan Sabha on the matter in regard to the Question of alleged breach of privileges against Chaudhri Hardwari Lal M.L.A., for writing derogatory remarks against the Speaker and the House in the booklets entitled. “A Chief

Minister Runs Amuck" and "Emergence of Rough and Corrupt Politics in India"

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the Final Report be extended upto the 28th February, 1975.

**Mr. Speaker:** Motion Moved—

That the time for the presentation of the Final Report be extended upto the 28th February, 1975.

**चौधरी चांद राम :** स्पीकर साहब, इस पर थोडी़ सी आव्जर्वे ान करनी है. .. . . . . .. . . .

**श्री अध्यक्षः** यह तो टाईम ऐक्सटैंड कर रहे है, इस पर क्या कहना है?

**चौधरी राम लाल वधवाः** इस पर कहना यह है और पूछना यह है कि टाईम की ऐक्टैं ान मांगते वक्त सैंकिंउ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे ा रक रहे है लेकिन यह सैकिंड प्रिलिमिनरी रिपोर्ट क्या है उसका हमें पता नही लगा कि क्या है क्योकि हमे वह दी नही गई हे। हम यह जानना चाहते है कि इतना अर्सा इस मामला को चले हो गया और काफी देर से यह पिविलेज इ ू चल रहा है और अभी तक फाईलन रिपोर्ट क्यो नही आई है?

**श्री अध्यक्षः** इसमे यह है कि बीच मे प्रिविलेज कमेटी की टर्म खत्म हो कर नई कमेटी बन गई और अब वह इसे ऐग्जामिन कर रही है।

**Mr. Speaker:** Question is—

That the time for the presentation of the Final Report be extended upto the 28th February, 1975.

The motion was carried.

औचित्य प्र न—दी हरियाणा कैनाल एण्ड ड्रैनेज बिलए 1973 के सम्बन्ध में

**Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** On a point of order, Sir. Mr. Speaker the same things has been repeated today. This Haryana Canal and Drainage Bill has been presented to the house, but without any statement of objects and reasons.

**Mr. Speaker:** This bill has already been introduced. it has gone to the Select Committee. Today you will consider the bill as reported by the Select committee

**Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** What is the motion? The Motion on the agenda is—

" **A Minister:** to move that the Haryana Canal and Drainages Bill, 1973, as reported by the Select committee be taken ito consideration.

ALSO to move that the Haryana Canal and Drainage Bill, 1973 as reported by the select Committee be passed."

**Mr. Speaker:** Order please.

**Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** The Question is that the Bill, as reported by the Select Committee, is to be passed and not the Bill which was previously introduced to presented to the house. Now this Bill, is without the statement of objects and reasons, without the financial memorandum and without the memorandum regarding delegated legislation. Rule 128 says-

"As soon as may be, after a bill has been introduced, the bill, unless it has already been published, shall be published in the Gazette:

Provided that the Speaker, on request being made to him, may order the publication of any bill (together with the State4ment of Objects and Reason, the memorandum regarding delegation of legislative power and the financial memorandum accompanying it) in the Gazette.....

**and Rule 126 reads—**

"A bill involving proposals fro the delegation of legislative power shall further be accompanied by a memorandum explaining such proposals and drawing attention to their scope and stating also whether they are of normal or exceptional character."

**Then Rules 125 says—**

"(1) A bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the causes involving expenditure and

shall also give an estimate of the recurring and Non-recurring expenditure involved is case the Bill is passed into laws.

And this bill does not fulfill these requirements of the Rules.

**Mr. Speaker:** Which rule are you citing?

**Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Rules 125, 126 and 128.

**Mr. Speaker:** These rules are not relevant to this Bill. You please read rule 149 regarding procedure after presentation of report.

**Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** This Rule reads—

"(1) After the presentation of the final report of a Select Committee on a bill, the member-in-charge may move—

(a) that the Bill as reported by the Select committee by taken into consideration: Provided that any member of the Assembly may object to its being so taken into consideration if a copy of the report has not been made available for the use of members for seven days and such objection shall prevail unless the Speaker allows the reports to be taken to consideration."

लेकिन मेरी सबमि ान यह है कि यह जो बिल एज रिपोर्टिड बाई दि सिलैक्ट कमेटी सदन मे पे ा किया गया है यह रूल्ज 125, 126 और 128 के अगैस्ट है क्योकि यह इन रूल्ज के प्रोविजन्ज को पूरा नही करता। जो आरिजनल बिल था और जो

सदन मे पहले इन्ट्रोडय्स किया गया था उसमे स्टेटमैंट आफ आब्जैक्ट्स एंड रीजंज, फाईनै ाल मैमोरैडम और मैमोरैंडम रिगार्डिंग डेलिगेटिड लैजिस्ले ान दिया हुआ था लेकिन अब जो यह बिल एज रिपोर्टिड बाई किद सिलैक्ट कमेटी आया है इसमे यह सब कु छ नही है। हसमे ऐसा है कि सिलैक्ट कमैटी भी रिपोर्ट के आधे पेज पर बिल एज रिपोर्टिड बाई दि सिलैक्ट कमेटी दिया हुआ है लेकिन औरिजनल बिल मे जो पहले फयनै ांल मैमोरैंडम स्टेटमैंट आफ आब्जैक्ट्स एक रिजंज मैमोरैंडम रिगार्डिंग डेलिगेटिड लैजिस्ले ान दिये हुए थे वह अब इसमे नही दिये गये और वह दिये जाने चाहिये थे क्योकि उनके बगैर बिल इनकम्पलीट है और रूल्ज के अनुसार यह नही पे ा किया गया हैं। मिनिस्टर साहब जो अब बिल पास करवाने के लिए सदन मे पे ा कर रहे है वह बिल एज रिपोर्टिड बाई दि सिलैक्ट कमेटी कर रहे है लेकिन इसमे रूल्ज के अनुसार वे चीजे नही है। अब सवाल यह है कि क्या विदआउट दीज थिंग्ज यह बिल सदन मे पे ा किया जा सकता है? With this Bill, there will be no financial memorandum. Also, there will be no memorandum regarding delegated legislation and no statement of objects and reasons.

**Mr. Speaker:** We are considering the same Bill, but as reported by the Select committee.

**Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Now the Bill will be passed as reported by the Select Committee and not the original Bill. The hon. Minister is going to move that the Bill, as reported by the Select Committee, Should be passed and

not the original Bill. It means that this bill will be without these three requirements of the provisions of the Rules.

**Mr. Speaker:** These requirements have been complied with by the original Bill.

**Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** The original bill is not going to be passed.

**Mr. Speaker:** If they are there with the original Bill, they will be with this bill as reported by the Select Committee.

**Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** How will the be passed? The Hon. Minister will be moving that this bill be passed, as reported by the Select Committee, and not the original Bill.

**Mr. Speaker:** The Select Committee has recommended amendments or changes in the clauses of the Bill.

**Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** This is not sufficient.

**Mr. Speaker:** It has not recommended any changes in the Stateme4nt of objects and reasons etc. I over rule your objection. It is not valid.

## दी हरियाणा कैनाल एण्ड ड्रैनेज बिलए 1973

**सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त):** श्रीमान् मै प्रसताव करता हूं।

कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन रूप मे हरियाणा नहर तथा जल निकास विधेयक, 1973 परा विचार किया जायें।

**Mr. Speaker:** Motion moved—

That the Haryana Canal and Drainage Bill, 1973, as reported by the Select Committee, be taken into consideration.

**चौधरी दल सिंह (जीन्द):** स्पीकर साहब, हरियाणा नहर तथा जल निकास विधेयक, 1973 सदन के सामने पे ा है और मै . . . . . .

**श्री बनारसी दास गुप्तः** दल सिह जी आप तो मैंटर थे कमेटी के।

**चौधरी दल सिंह (जीन्द):** मै तो आप की तारीफ ही कर रहा हूं और . . . . . .. . . . .

**Mr. Speaker:** A member, who was a member of the Select Committee, cannot oppose the Bill, if he has not given a note of dissent.

**चौधरी दल सिंहः** मै इसे अपोज नही कर रहा हूं। मै यह अर्ज कर रहा था कि इस बिल की ताईड करता हूं और मै यह बात साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि यह बिल हरियाणा के किसानों के लिये और हरियाणा की 95 फीसदी पापूले ान के लिये बहुत ही अमह बिल है। मै यह भी अज्र करता चाहता हूं कि सिलैक्ट कमेटी ने अपनी 10 मीटिंग में इसे थारोली एग्जामिन

किया है और बहुत मेहनत के साथ जाच पड़ताल करेक अमैंडमैंटस इस मे सजैस्ट की है। जहां मै इसे स्पोर्ट करता हूं वहां यह कहे बगैर भी नही रहा सकता कि इसे अमैंड करने मे हमारे हाउस के मैंबर चौधरी मेयर चन्द जी का बहुत हाथ है और इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों को भी बहुत हाथ है खास तौर पर कमि नर फार इरीगे ान एंउ पावर श्री केप्रिहन साहब, ने बहुत मेहनत की है। मै इस बिल की ताईउ करते वक्त इन सक साहिबान को अपनी तरफ से मुबारिकबाद पे ा करता हूं। इसके साथ साथ गवर्नमैंट ने यह भी कहना चाहता हूं कि चौधरी मेहर चन्द जी ने इसके बनाने मे बहुत मेहनत की है इसलिए आगे लिए भी जब कोई जरूरी बिल सिलैक्ट कमेटी को भेजा जाये तो उसमे चौधरी मेहर चन्द जी को जरूर मैंबर लिया जायें।

**Shri Amar Singh (Bawani Khera-S.C):** Mr. Speaker, Sir, the Haryana Canla and Drainage Bill, Which is before the House, was originally introduced in November, 1973. उसके बाद 16 नवम्बर को जब हाउस मे इन्ट्रोड्यूस हुआ तो उस पर विचार करने के लिए एक सिलैक्ट कमेटी मुकरर्र हुई जिस ने 31 मार्च 1974 तक छान बीन करके रिपोर्ट पे ा करनी थी। वह बिल सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट पे ा करने के बाद आज हाउस मे जेरेगार है। स्पीकर साहब, इसमे कोई दो राय नही कि नौरदन इंडिया कैनाल ड्रेनेज एक्ट 1973 तकरीबर 100 साल के बाद के बाद अमैंउ हो रहा है और इस दौरान यह एक्ट किसानों को डैमेज करता रहा। कर्मचारी नहर मे खुद गड़बड़ करके डैमेज

किसान के कंधे पर डाल देते थें। पिछले दिनों इस एक्ट के तहत यह ज्यादती होती रही लेकिन आज जो बिल हमारे सामने आया हैं, इसकी छानबीन करके जो कमियां सामने आई थी उन को दूर करने के लिए बहुत कोि ा ा और छानबीन की गई लेकिन फिर भी स्पीकर साहब, क्लोज 28, 29 और 31 इन तीनों क्लोजिज के बारे मे थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं । इनमे अब भी थोड़ी सी एम्बीग्विटी है जो किसान के लिए घातक साबित हो सकती है। क्लाज 28 मे लिखा है–

"If water supplied through a canal is used in an unathorised manner, and if the person by whose act or neglect such use has occurred cannot be identifled, the person who has derived or may derived or may derive benefit therefrom shall be liable to the charges prescribed for such use."

स्पीकर साहब, प्रायः यह देखने मे आया है कि 10–20 भोयर होल्डर्ज के आउट–लैट को, एक आदमी डैमेज कर जाता है तो उससे खड़ी फसल को नुकसान हो जाता है और दूसरी तरफ कईयों को इससे फायदा हो जाता हैं क्योकि जिस आदमी ने आउटलैट डैमेज किया है वह आईडैटिफाई नही होता। यहां आईडैटिफाइ वाली बात ठीक नही है क्योकि तवान के कैसिज कोर्ट ने करने होते है। जब पूलिस रिपोर्ट करके भेजती हे तो किसी भी केस मे पुलिस की यह रिपोर्ट नही होती कि पूलिस ने आईडैंटिफाई मुलजिम कर लिया है? अगर एक आदमी इन्टै ान्ली भारारत करके आउटलैट को डैमैज कर जाता है तो उसकी

रोकथाम के लिए हमारे पास कोई चारा नही है जिसकी बिना पर हम उसको आईडैंटिफाई करके पकड़ सके। अगर 50 भोयर होलडर्ज का आउट लैट हो तो आउटलैट डैमेज होने से इन मे से 20 को तो बैनिफिट हो गया और जिसका खेत बिल्कुल आउट लैट के साथ लगता है उसको अधिक नुकसान हो गया, उसकी फसल तबाह हो गई और इतना होने पर भी उस पर तवान लग जाता लग जाता है। इस तरह से उसको बहुत नुकसान होता है। मै मंत्री महोदय से निवदेन करना चाहता हूं और उन के नोटिस मे लाना चाहता हूं कि अगर इसके दो पार्ट कर देते तों अच्छा था जैसा कि 50 भोयर होल्डर्ज का आउट लैट है ओर आउट लैट डैमेज होने से 25 को फायदा और 25 को नुकसान हो गया तो इस सुरत मे अरग इसमे एक सब–कलाज जोड़ दी जाए कि जिन को डैमेज हुआ है उनको कम्पैंसैट कर किया जाए और जिन को फायदा हुआ है उन पर तवान लगा दिया जाए तो ठीक रह क्योकि मौगा तोड़ने वाला आईडैटिफाई तो होता ही नही कुछ केसिज आईडैटिफाई हो जाते है कुछ नही होते। गांव का कोई आदमी बताता नही और न कोई वि ोश छानबीन करता है। इस लिए मेरी अर्ज यह ळ कि मिनिस्टर साहब इस बात पर गौर करें कि एक सब–क्लाज और जोड़ दी जाए जिस से किसी को नाजायज नुकसान न हों। मिनिस्टर साहब गौर करे कि तवानके कैसिज बहुत पुराने होने के बाद अदालत के आते है, इस प्रोसैस को ठीक करना जरूरी है । जब आफि ायल कंसर्न्ड ओवर सियर एस.डी. ओ. वहां से बदल जाते है उस के बाद ये केसिज अदालत मे आते

हैं। कई कई तो चार चार, पांच–2, छः– छः साल के बाद टाईम लिमिट कु करर्र कर दी जाए कि तीन महीने के बाद या छः महीने के बाद कोर्ट मे तवान केसिज आ जाने चाहिए। स्पीकर साहब, मैने देखा है, बहुत सारे केसिज आठ–आठ साल पुराने है जिन का न कोई सिंर है, न पैर है, किसान के ऊपर तवान तजबीज करके अदालत मे भेज देते है। कई–कई तारीखें पड़ती रहती है कई कैसिज ऐसे होत है जो मेन्टेनेब्ल नही होते, कई केसिज की रिक्वायरमैंट पूरी नही होती और फिर ऊपर से कई गुणा तवान लग जाता हैं। तो स्पीकर साहब, नइ पर टाईम लिमिट होनी चाहिए कि तवान के केसिज बनें उन को 24 घन्टे के अन्दर–अन्दर एस.डी.ओ. (सिविल) साहब द्वाररा एग्जामिन किया जाना चाहिए, इन्सपैक ान करना चाहिए और देखना चाहिए कि यह कट है या ब्रीच। अगर गजेटिड अफसर द्वारा टुवंटी–फोर आवर के अन्दर–अन्दर इन्सपैक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एक तो छानबीन हो जाती है और दूसरे असली बात का पता लग जाता है।

इसके अलावा मै अर्ज करना चाहता हू कि आवर सीयर, लास्ट डैट आफ इंस्पेक ासन रिपोर्ट टेलीग्राम की कापी, एस.डी. ओ. और डिविजनल कैनाल अफसर को भेजता है। उस की एक कापी एस.डी.ओ. सिविल के पास भी जानी चाहिए औवरसीयर लास्ट डेट आफ इन्सपेक ान से डेट आफ डिटैक ान तकए जो डेट उस को सूट बैठती है वही लास्ट डेट आफ इंसपैक ान रख

लेता है और टेलीग्राम भेज देता है। तवान जो लगता है वह लास्ट डेट आफ इंसपैक ान से लास्ट डेट आफ डिटैक ान तक लगता है। इस तरह ओवर सीयर लास्ट डेट आफ इंसपैक ान अपने हिसाब से भरता है। एक आदमी जिसको बचाना चाहे बचा देता है, जिसको दबाना चाहे दबा देता हैं। इस लिए जो ओवरसीयर कंसर्न्ड हो उसकी इंसपैक ान रिपोर्ट एस.डी.ओ. डिविजनल कैनाल अफसर और एस.डी.ओ. सिविल के पास मन्थली जानी चाहिए ताकि यह पता लग सके कि क्या पिछले हफ्ते मे आवरसियर ने इंसपैक ान किया है, यहा उसने पिछले हफ्ते मे किया है? वह इसको चैक करे आवरसीयर दो तीन दिन पीछे की डैट भजे देता है क्योकि उसका किसी के पास कोई रिकार्ड नही होता। इससे किसान को नुकसान होता है क्योकि आवरसीयर लास्ट डेट आफर इन्सपैक ान से डेट आफ डिटैक ान तक तवान लगाते है अगर वह एक हफ्ते का फर्क डाल दे तो किसान को एक हफ्ता पीछे तक का तवान देना पड़ता हैं। पिछले हफ्ते जब वह इंसपैक ान करने गया था, उस दिन करने गया था, उस दिन से उस दिन (आज तक) तवान देना पड़ता है, इसके बारे मे सरकार ध्यान दे और तजवीज पर अमल किया जावें।

अब मै कट की बाबत अर्ज करना चाहता हूं यहा पर जिक्र आया है कि कट को कैसे रोका जाए। कई जगहों पर कट होते है और कई जगहों पर इन्टैन ानली ब्रीच का कट बना देते है, कर्मचारी आपस मे मिल कर यह काम करते है। जैसा कि

प्रौसीडिंग से जाहिर होता है सिलैक्ट कमेटी को कमि नर तथा सैक्रेटरी ने चीफ इंजीनियरों वगैरा ने इसकी रोकथाम के लिए बताया है लेकिन फिर भी मै एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि विकली फोर्टनाईटली या मन्थली, डिविजनल कैनाल आफिसर का इंसपैक ान होना चाहिए जिससे चैक रहे और कर्मचारी को डर रहे। यह नही होना चाहिए कि ब्रीच का कट बना दिया जाए। स्पीकर साहब, आपकी कांस्टीच्ऐंसी का एक बास गांव है, वहां सुन्दर ब्रांच मे ब्रीच हो गया और तकरीबन तीन–चार फुट लम्बा हो गया । एस.डी.एम. और डिप्टी कमी नर साहब मौके पर चले गए। ऐग्जैक्टिव इंजीनीयर इरीगे ान उन के साथ थें। उस गांव मे गेंहू के भरोटे कटे हुए थे वे 10–12 किल्ले मे 2–3 फुट पानी मे पड़े रहे, सारी फसल बरबाद हो गई। तीन अफसरान की रिपोर्ट यह थी कि ब्रीच है लेकिन फिर भी वह ब्रीच कट मे बदल गया। वह कट का केस कोर्ट मे आया और कोर्ट से उन किसानों की रिहाई हुई। इस तरह की स्थिती आम तौर पर हो जाती है।

पहले जो सन् 1873 का नार्दर्न कैनाल एण्ड ड्रैनेज एक्ट था जो कि सैनट्रल गवर्नमैंट के तहत होता था अब हमारी हरियाणा सरकार के तहत हरियाणा कैनाल एण्ड ड्रेनेज बिल 1973 आया हे। इसमे बहुत सारी बातों की रोक–थाम की गई है। मेझे पूर्ण वि वास है कि अब आइन्दा किसी के साथ ज्यादती नही होगी। जो पिछले दिनों होती रही हैं। जिन चीजों पर मैने स्पीकर साहब, आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाया है मै समझता हूं कि

सरकार इनकी और ध्यान देगी। स्पीकर साहब, यह बेहतरीन बिल है। यह 88 परसैन्ट लोगो का कवर करता है जो खेती बाड़ी का काम करते है। यह आपके देखने मे भी आया होगा कि बहुत सारी जगह आवरसीयर भारारत करके किसानों को तंग करते है।

स्पीकर साहब, एक चीज की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैयरमैंट करने के लिए इरीगे ान जाता है। वह चार चार हफ्ते बाद जाता है। जब उसको यह पता ही नही लगता है कि किसान ने दो बार पानी दिया या तीन बार पानी दिया है। जब वह मैयरमैंट करने के लिए जाता है उसके पास कोई पैमाना नही होता है कि कितना पानी इस बार मे लगा है। उसका यों ही अन्दाजा लगा कर लिख दिया जाता है। बहुत सारी जगह यह सवाल पैदा होता था कि बारी से 24 घण्टे मे किन किन लोगों को कितने कितने घन्टे पानी दिया गया और अन–अथोराइजड तरीके से कितने लोगों को पानी दिया है अब इसमे सारी बातें आयी हे। इस तरह की ज्यादतियां होती थी। यह जो बिल जैरे बहस है इसके पास करने के बाद यह ज्यादतियां किसानो के साथ नही होगी इसके साथ–साथ मै यह भी निवेदन करूंगा कि यह इतना अहम बिल है इसकी इम्पलीमैंट ान के लिए जहां पैट्रोलिग सैल बन रहा है वहां नहर के कटों की देखभाल और तावान की मदद को खासतौर पर उसके अन्दर डाल दिया जाए ताकि आइनदा किसी किस्म की ि ाकायत न हो सके। मै स्पीकर साहब, गवर्नमैंट जो यह बिल लायी है इसकी पुरजोर हिमायत करता हूं और जो

पिछले दिनों हमारे नोटिस मे ि ाकायते आती रही है वे इस बिल के पास होने के बाद दूर हो जाएंगी।

**श्री गौरी भांकर (नरवाना):** माननीय अध्यक्ष महोदय, मै इस बिल का स्वागत करता हूं। यह बिल बहुत सोच समझ के बनाया गया है दो तीन बातों के बारे मे आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं और आ ाा है कि सरकार उन पर विचार करेगी। क्लाज 15 मे महज लफ्ज कैनाल है लेकिन जो पानी दिया जाता है वह कैनाल माइनर से दिया जाता है। इस पर कोई व्यक्ति कोर्ट मे इस लफ्ज के खिलाफ आवाज उठा सकता है। हम कैनासल से पानी नही लेते है। अगर इसकी जगह कैनाल माइनर कर दिया जाए तो ठीक रहेगा, क्योकि हमें कैनाल माईनर से पानी मिलता है। दूसरे क्लाज 55 के अन्दर डिप्टी कलैक्टर को बारबन्दी की पावर है। बारबन्दी तो डिप्टी कुलैक्टर करता है। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि कुद आदमी उसकी चलने नही देते इस लिए मै आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि डिप्टी कुलैक्टर को तावान लगाने की पावर भी दी जानी चाहिए। जौ बारबन्दी नही चलने दे उस पर तवान लगाने की डिप्टी कुलैक्टर को पावर होनी चाहिए।

तीसरी चीज जो आजकल झालर लगा लेते है, बगैर किसाी की अप्रुवल के उससे क्या होता है कि झालर लगाने के बाद, उसके आगे जिस आदमी का अगला नाका होता है उसके पास पानी नही पहुंचता। वह अगला आदमी मारा जाता है क्योंकि

वह झालर सारी नहर तक का और माइनर  तक का पानी खींच लेता है। अगले आदमी को पानी लगाने के लिए कम से कम खाल भरने के लिए घन्टा डेढ घन्टा लगता है इसलिएण उस आदमी का तो सारा वार ही खत्म हो जाता है। गवर्नमैंट की अप्रूवल के बगैर झालर नही लगाने की इजाजत मिलनी चाहिए। अगर अप्रुवल से झालर लगे तो अगले आदमी को उस पानी को कम्पनसै ान दिया जाना चाहिए।

चौथी बात यह है कि हमारे जो नहरेा मे ब्रीच और कट होता है, जो हमारे नहर के अफसर होते है उनकी गलती की वजह से , उनकी लापरवाही की वजह से जो ब्रीच हो जाते है उनको कट बना दिया जाता है। इसके लिए मै आपके द्वारा सराकार से प्रार्थना करूंगा कि नहर का कोई अफसर कट या ब्रीच की इन्कवायरी न करें। उनकी इन्कवायरी किसी डी.सी. या एस.डी.एम. के थ्रु करायी जाए ताकि इम्पा र्ल इन्कवायरी हो सके। नहर के अफसर जो कट न हो तो भी उसका कट बना देते हैं। जिस आदमी की गलती हो उसी को सजा मिलनी चाहिए क्योकि महकमे के अफसर अपने आप को बचाने के लिए जो ब्रीच होता है उसको कट बना देते है। इस एक्ट के अन्दर यह दिया हुआ है कि जिस डिपार्टमैंट की बात है उसी ने इन्कवायरी करनी है तो लोगों पर यानी जमींदारो पर इसकी जिम्मेवारी डालेगें। इस लिए मेरा निवेदन है कि इन्कवायरी एस.डी.एम. यह डी.सी. के जरिए कराई जानी चाहिए और जो कट का तावान लगना हो वह भी उनकी

मन्जूरी से लगना चाहिए। दूसरे जो कट का तावान डाला जाता है वह उस आस पास की सारी जमीन पर डाला जाता है तो सरकार को फसल का मुआवजा देना चाहिए। अगर एक आदमी कट करता है उसका सारा तावान उस आदमी पर लगना चाहिए जिसने कट किया हैं सारे जमींदारों पर नही लगना चाहिए। इसमे एक चीज और भी है जो हमारे मोघें है जो जमींदार बाबू को पैसे दे देते है उसका मोघा तो खुला चलता है, उसको नीचे लगा देत है और जो जमींदार पैसे नही देते है उसका साइज कम कर देते है। उसके मापने के लिए, देखने के लिए कोई तरीका नही हैं। इसलिए मैने यह पहले भी कहा था और आज भी आपके द्वारा सरकार से कहता हूं कि हर मोघे पर मीटरगेज लगना चाहिए ताकि हर अनपढ़ जमींदार को भी यह पता लग सके कि मोघे मे पानी कम जा रहा है या ज्यादा आ रहा है यह सरकार को जरूर करना चाहिए क्योंकि आवरसीयर लोगो को परे ाान करते है, जमींदारो को लूटते है। इसलिये मैने बहुत जरूरी बाते आपके सातने रखी है आ ाा है सरकार इन पर ध्यान देगी। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया मै आपका धन्यावाद करता हूं।

**चौधरी ि ाव राम वर्मा(नीलोखेड़ी):** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह हरियाणा कैनाल एन्ड ड्रैन्ज बिल 1973 अभी सिलैक्ट कमेटी से होकर उसकी रिपोर्ट के साथ यहा सदन मे विचार के लिए आया है। मै भी सिलेक्ट कमेटी का मैंम्बर था। तो इसमे मै सारी कमेटी के बारै मे कुद कहू कि किसने कितना काम किया है,

कितना नही किया वह अच्छा नही लगता। मै एक माननीय सदस्य जो इस कमेटी के मैम्बर थे चौधरी मेहर चन्द, उन्होने इस बिल पर सभी मैम्बरों से ज्यादा मेहनत की है, इसिलए मै उनकी प्र ांसा किए बिना नही रह सकता। अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि उन्होने इसके लिए बहुत मेहनत की। उसके साथ ही साथ जहां महकमे के इंजीनीयर और अफसरान ने मेहनत ही वहां हमारे सचिव सिंचाई विभाग ने भी कमेटी को बहुत अच्छा सहयोग दिया जिसके फलस्वरूप बहुत ही ि ाघ्रता से यह बिल सिलेक्ट कमेटी से विचार होकर तीन–चार महीने मे ही फाईनल कर दिया गया हैं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, जो इस बिल की क्लाज पांच है उस पर आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

**Mr. Speaker:** The hon. Member cannot oppose the clause.

**चौधरी ि ाव राम वर्मा:** मै विरोध नही कर रहा हूं और विरोध करूंगा भी नही। विरोध करने का मेरा अधिकार भी नही बनता है। मै तो उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं सिर्फ एक आ वासन के लिए जो क्लाज पांच के अन्दर जो सरकारी टयूबवैल है उनसे 150 मीटर तक किसानों को टयूबवैल लगाने पर पाबन्दी लगाई है उसमे जो पाबन्दी लगी है उस पर कमेटी कैसे सहमत हुई, वह मै आपके सामने रखना चाहता हूं:–

"On reconsideratioin it was decided that clause 5 will be redrafted in teh meeting of the Committee to be held on the 28th March, 1974"

उस 28 मार्च की मीटिंग मे विचार विम र्श होकर फिर जो बात आयी, उसके आधार पर यह लिखा गया।

"Clause 5

While considering clause 5 of teh Bill, Memkbers of teh Committee were of the view that this limit of 150 meters from teh augmentation tubewells where in private tubewells are being prohibited to be installed, would hit hard to the farmers, particulary in cases where they would not be given water from teh augmentation tubewells. The suggested that this limit should be reduced from 150 meters to only 50 meters.

The Commissioner, Irrigation and power, after consulting the Chief Engineer (Canals) assured the Committee that in such cases the Governemtn will supply water to mitigate their hardship from the augmentation tubewells and will not aloow them to suffer on this account.

Keeping in view the assuarnce given by the commissioner, Irrigation and Power Department, The Committee re-drafted clause 5.

अब इस बिल मे जा यह क्लाज आई है, यह इस तरह से ड्राफ्ट की गई है और उस अ योरैन्स के साथ ड्राफ्ट की गई है। मै आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय

इसके बारे मे यहां हाउस मे आ वासन दे और इस चीज को जैसे भी हो इस बिल के साथ किसी ऐसे ढंग से जोड़ा जाए ताकि यह आ वासन बना रहे और किसान के सामने जो मु कल आने का डर है, वह न रहें। इसके बारे मे मैम्बरों ने जो सूझाव दिए, उनके ऊपर पूरी तरह से विचार किया गया। यह क्लाज 5 कई मीटिंगो मे विचार विम र्ा प चात पोस्टपोन होती रही। बिल फाइनल करने के बाद फिर इसको दोबारा री–ड्राफ्ट किया गया। इसलिए यह आव यक है कि किसान के सामने आने वाली जो मु कल है, कि सरकारी ट्यूबवैल से 150 मीटर तक कोई प्राइवेट ट्यूबवैल नही लग सकता नही लग सकता, उसके बारे मे सरकार की तरफ से हाउस मे आ वासान आ जाना चाहिए। जिस किसान के पास चार या पांच एकड़ जमीन होगी, उसको बड़ी मु कल आएगी। न उसकों सरकारी ट्यूबवैल से पानी मिलेगा और न ही वह अपना ट्यूबवैल लगा सकेगा। जो आ वासन कमेटी मे दिय गया है कि हम उसके लिए पानी का प्रबन्ध करे, उसको पानी मिलेगा, मै चाहता हूं कि यह आ वासन सरकार की तरफ से आन दी फ्लौर आफ दी हाऊस भी दिया जाए ताकि छोट किसानों की यह हार्ड ाप खत्म हो जाए। इन भाब्दो के साथ मै समाप्त करना चाहता हूं। मैने इस बिल की कोई मुखालिफ्त तो करी ही नही है, हां इनता जरूर कह सकता हूं कि कोई भी कानून अच्छा है या बुरा है जब वह अमल मे आएगा, जब उस को इस्तेमासल मे लाएगें, उसके बाद ही उसकर पता लगेगा। जो इस बिल पर अमल करने वाले है, उनके मन से यह ज्यादा ताल्लूक रखता है। अपने

दे ाा की पैदावार बढाने के लिए भी यह बिल किसान से सीधा ताल्लूक रखता है इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इ स बिल को पूरे ध्यान से पास कियास जाए, तभी हमारे प्रान्त का भला हो सकता है। धन्यावाद।

**श्री जगजीत सिह टिक्का (नारायणगढ़)** स्पीकर साहब, चौधरी ि ाव राम वर्मा जी ने एक बात अभी कही है, मै सिर्फ उसके मुताल्कि ही कहुंगा। इस बिल मे बाकी एरियाज मे तो कैनाल्ज का ताल्लुक है लेकिन मेरी कांसटीच्ऐसी के एरिया मे तो कैनाल का सवाल ही पैदा नही होता। जो औगमैंट ान के टयूबवैल्ज है, उनका तो मेरे एरिये से सम्बन्ध है । मेरे एरिये मे गवर्नमैंट के ट्यूबवैल भी लग रहे है। उनके 150 मीटर के फासले तक कोई प्राइवेट ट्यूबवैल नही लग सकेगा, अगर यह बात उस पर भी लागू हो जाए तो इसमे कोई एतराज वाली बात नही है। लेकिन ऐसा करने से थोड़ी सी, दो–तीन दिक्कते आने वाली है जो मै यहां पर मंत्री महोदया के सामने कहना चाहता हूं। उसमे जो कमान्डिउ एरिया होता है, कई दफा तमाम का तमाम ले लिया जाता है। अब उसमे नैचूरली 150 मीटर तक का ऐरिया आ जाएगा, हो सकता है उससे ज्यादा भी आ जाए, कई दफा उस तमाम कमान्डिड ऐरिया का पानी नही मिलता। कभी तो ट्यूबवैल फेल हो जाता है और कई दफा कोई और कारण हो जाता है जैसे कि कोई ट्यूबवैल कम पानी देना भुरू कर दे। मिसाल के तौर पर मैने मंत्री महोदय को यह बताया है कि ट्यूबवैल नम्बर 30

जो ाहजादपूर का है, ने पानी देना बन्द कर दिया हैं। मंत्री महादेय ने यह वि वास दिलाया हे कि किस तरह ठीक करते है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कमान्डिट ऐरिया को पानी न मिले या किसी वजह से पानी न दिया जा सके तो फसल का बहुत नुक्सान होता है। वहा पर का तकार अपना ट्यूबवैल नही लगा सकता। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ऐसी जगहो के लिए या तो वे छूट दे कि वहा पर किसान ट्यूबवैल लगा सके या फिर कोई और प्रबन्ध किया जाए। एक दूसरी बात यह है कि सरकार जहां ट्यूबवैल लगात है वहा एम.सी.जी. ली जाती हैं। जैसे बिजली वाले एम.सी.जी. लेते है इसी तरह से ट्यूबवैल पर भी लेते है कि हम आपको इतनास पानी देंगे और आपको इतना खर्चा देना पडेगा। अगर उतना पानी मिल जाये और उतना देखने मे आयी है कि पानी मिलता नही है लेकिन एम.सी.जी. ले लेते है। इसका मतलब तो यह हो गया कि पानी मिले या न मिलें, का तकार को पैसे देने पड़ेगे मैने एग्रीमैंट मे भी इसके लिए प्रोवीजन कराने की कोि ा रूा की है कि इस एग्रीमैंट हो और अगर पूरा परनी न मिले तो एम.सी.जी. लागू नही होनी चाहिए। आपके द्वारा मंत्री जी से यही मेरी डिमान्ड है। इस वजह से लोग कतराने लग गए है और एम.सी.जी. नही देतें। अगर नही देते तो उन पर जुर्माना हो जाता है। अगर किसान का पानी न मिले तो उससे एम.सी.जी. नही लेनी चाहिए। अगर किसी का एक दफा पानी मिल गया तो भी पैसे उतने ही लेते है और अगर किसी को पूरा पानी मिल गया तो उतने ही । इसलिए मै मंत्री जी से प्रार्थना

करूंगा कि इस चीज पर वे गौर कर ले ताकि लोग इस दिक्कत से बच सकें।

**चौधरी मेहर चन्द(बडोपल):** स्पीकर साहब, इस बिल को अपोज करने का तो मेरा सवाल ही पैदा नही होता लेकिन कुछ ऐसी बाते इसके अन्दर है जो इसके अन्दर से ही ऐमर्ज होती है और वे मै आपके द्वारा गवर्नमैंट के नोटिस मे लाना जरूरी समझता हूं। हाउस को पता ही है कि यह बिल सिलैक्ट कमेटी को रैफर हुआ। सिलैक्ट कमेटी ने बड़े गौर से इसको ट्रिस्मलाईन करने की कोि ा ा की है और जो भाौर्ट–कमिन्गज औरिजलन बिल मे थी, उनको रिमूव किया है। इसके बादएक चीज निहायत जरूरी यह आती है। कि इस बिल के रूल्ज के अनदर अभी बहुत कुछ चीजे छोड़ी है। मै आपके द्वारा हरियाणा सरकार से यह दरखास्त करूंगा कि रूल्ज के अन्दर अभी बहुत से प्रोविजन्ज होने है, इस वास्ते चन्द आईटम्ज ऐसी है जिनके ऊपरर खास ध्यान देना निहायत जरूरी है। मसलन डिसिट्रब्यू ान आफ इरिगे ान स्लिप्स इस चीज को जिसके बारे मे मै कहना चाहता हूं, मेरे सब भाई कच्ची पर्ची कहते है और रूल्ज के अन्दर इस बारे मे प्रोवीजन जरूर है। मै इस बात से डिलाई नही करता। हालांकि ऐग्जीस्टिंग रूल्ज के अन्दर इसका प्रोविजन है लेकिन ऐग्जीस्टिंग रूल्ज को थौरौली रिवाईज करना पड़ेगा। in the light of provisions made in teh new Act now. इस वास्ते जब वह प्रोवीजन करे तब वहां पर एक चीज का प्रोवीजन होना निहायत

जरूरी है क्योकि वह अभी लैक करती है जिसकी वजह से किसान बेचारे को पूरी अपरच्यूनिटी नही मिलती है। दर हकीकत होता क्या है? यह जो कच्ची पर्ची होती है जब इसको पटवारी तकसीम करता है तो कुछ पर्चियां नम्बरदार के सुपुर्द कर देता हे और कुछ खुद बांटता है। पर्चियां ऐक्चुअल तकसीम ही नही हकी जाती और बहरहाल जो तकसीम पर्चा होता है, वह फर्जी होता है। इसलिये मै हरियाणा सरकार से विनती करूंगा कि जो रूल्ज बनाये जायें, उनमे डैटिड एकनोलेजमैंट का प्रोवीजनव होना निहायत जरूरी है ताकि वह गरीब किसान उजरदार कर सके। होता क्या है? कोई किसान खेत मे बोता तो चरी है लेकिन खसरे के अन्दर काटन दर्ज कर दिया जाता है। जब उजरदारी का टाईम निकल गया ता क्या वह उजरदारी काटन की दे? टाईम पर पर्ची न पहुंचने के कारण वह बेचारा उजरदारी नही है कर सकता और बड़ी कठिनाई मे फंस जाता है।. . . . . ..

**Mr. Speaker:** Order please. You were a member of the Select Committee. रूल्ज अभी अने नही है। जब रूल्ज बनेगे तो वे हाउस के सामने आयेगे। आप तो उनका पहले ही एन्ओसिपेटरी क्रिटीसाईज कर रहे है।. . .. . . .

**चौधरी मेहर चन्दः** स्पीकर साहब, कमेटी के अन्दर यह बात डिस्कस हुई थी अगर आप इजाजत नही देते मै बेठ जाता हूं। मै बिल की बाबत नही कह रहा हूं मै तो रूल्ज के लैक्यूने

की बात कर रहा हूं। अगर आप मुझे इजाजत नही देते than I resume me seat.

**Mr. Speaker:** Hons. Minister.

**सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त):** अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी सदन के सामने सम्मानित सदस्यों द्वारा यह विचार व्यक्त किए गए कि यह बिल बड़ा महत्वपर्ण है। इसमे कोई संदे ा नही कि यह बड़ा अहम बिल है और पूरी एक सदी के प चात इसमे सं ाोधन किया जात रहा है क्योंकि यह बिल बडत्रा महत्वपूर्ण था और खासतौर से हरियाणा की खु ाहाली, विकास और किसानो से सम्बन्ध रखता था इसलिए पिछले विधान सभा के सत्र मे यह बिल सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया। अध्यक्ष महोदय आप जब सिलैक्ट कमेटी मे मैम्बरना की लिस्ट देखेगे ता पता चलेगा कि उसमे हमारे ऐसे सम्मानित सदस्य थे जो इस विशय मे पूरी दिलचस्पी रखते और समझ रखते थें। उनको इस सिलैक्ट कमेटी मे भाामिल किया गया और उन्होने काफी सोच विचार और बड़े गहरे अध्यन के प चात अपनी रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत की है। जैसा कि अभी वर्मा जी ने बतलाया कि इस रिपोर्ट को तैयार करने मे मैम्बरान ने बड़ी मेहनत की। मै उन सब का बड़ा अभारी हूं और खास तौर से वर्मा जी ने चौधरी मेहरचन्द मे नाम का संकेत किया। इसमे कोर्ठ संदे ा नही कि इन्होने बड़ी दिलचस्पी बड़े परिश्रम के साथ अपना योगदान इस रिपोर्ट को तैयार करने मे दिया हैं और हमारे सिचांई विभाग के

इंजिनियर और सिंचाई और बिजली विीाग के जो आयूक्त है उन सब ने इस रिपोर्ट के तैयार करने मे बड़ा सराहनीय काम किया हैं समय समय पर उन्होने बड़े अच्छे सूझााव पदिए और डिस्कंज तथा विचार विर्म ा के समय पूरी तरह से इस बात की और ध्यानव दिया कि यह बिल ऐसा तैयार किया जाए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा सुविधाए किसानों को प्रदान की जा सके और उनको अपनी जमीन मे नहरों का पानी लगाने मे आज जो कठिनाईयां आती है उन सब कठिनाईयो को दूर किया जा सके और इस बात की पूरी चेश्टा की गई है, प्रयत्न किया गया है लेकिन इसके बावजूद हमारे माननीय सदस्य चौधरी  अमर सिंह ने कुछ आ ांकाए प्रकट की हैं। कुछ ऐसे खद ाात प्रकट किए है कि कुछ बातों से किसान को तकलीफ हो सकती है। जहा तक तावान की बात है कि सी निर्धारित समय के अन्दर उसका फैसला हो जाना चाहिए, कुद इंसपैक ान की बात उन्होने की है और उन्होने इस बात का जिक्र किया है जैसेा कि लाला गौरी भांकर ने कहा कि कई बार अपनी जिम्मवारी कम करने के लिए और अपने दोशों और अपने कमियों को छिपाने के लए नहर के कर्मचारी ब्रीच का कट बना देते हैं मै इस बात से इन्कार नही करता। सम्भव है कि इस प्रकार की बात हो जाती हो। नहर से किनारे कमजोर हो या कोई कमी हो और जिसके कारण ब्रीच हो जाता हो और अपनी खाल बचाने के लिए कट बना दिया जाता हों और इससे किसान को पेर ाानी होती हो। मै सदन के माननीय सदस्यों को यह वि  वास दिलाता हूं कि

इस बात की और हम पूरा ध्यान देगे कि और हम पूरा ध्यान देगे कि इस प्रकार किसान को परे ाान न किया जाए।

**श्री अध्यक्षः** रूल्ज बनाते समय चौधरी मेहर चन्द को भाामिल कर लीजिए।

**श्री बनारसी दास गुप्तः** मैजरमैंट की बात की गई हैं। यह ठीक है कि अन्दराज के समय आई.बी.सी. भाायद गड़बड़ करते हो, हम इसका ध्यान रखेगें। मै अधिक डिटेल मे नही जाना चाहता क्योकि इस बिल पर बड़ी गहराई के साथ विचार किया गया है और जो आ ांकाए हमारे माननीय सदस्यो ने प्रकट की है, मै सरकार की और से एक ही वि वास दिलाता हूं कि हम इस बात की पूरी कोि ा ा करेगे कि किसान को कम से कम तकलीफ हमारें विभाग के किसी अधिकारी और कर्मचारी की ओर से हों।

एक बात श्री ि ाव राम वर्मा ने कही है। इस बिल मे धारा 5 है जिसमे आगमेन्टे ान ट्यूबवैल के 150 मीटर के रेडियस मे प्राईवेट ट्यूबवैल लगाने की इजाजत नही दी गई है। इस बारे मे हमने अधिकारियों और इंजीनियरो से विचार विर्मश किया और जैसा कि उन्होने प्रोसीडिंगन्ज को पढकर बताया कि डिस्क ान के वक्त इस बात का यकीन दिलाया कि कोर्ठ किसान जिसकी जमीन 150 मीटर के रेडियम मे आती है और उसको किसी अन्य प्रकार से ट्यूबवैल से पानी देगे ओर उस किसान को किसी प्रकार भी

पानी से वंचित नही रखेगे। इसके अलावा अभी चौधरी मेहर चन्द जो इस सिलैक्ट कमेटी के मैम्बर रहे है। उन्होने रूल्ज की बात की, स्पीकर साहब, रूल्ज बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सदन ने जो यह अकल पास किया है उसकी एक–एक धारा को अच्छी प्रकार इम्पीमैंट किया जाए और उससे किसी प्रकार की कोई तकलीफ किसान को न हों।

एक बात श्री जगजीत सिंह टिक्का ने एम. सी.जी के सम्बनघ मे कही है। एम.सी.जी. की भार्त लगाना जरूरी है लेकिन उससे किसान को जो तकलीफ होती है । मै आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया जाए ताकि हम इसकों भीघ्र ही इम्पलमैंट कर सके, लागू कर सके और किसान की जो कठिनाइयां है उनका हल कर सकें।

**Mr. Speaker:** Question is—

That the Haryana Canal and Drainage bill, as reported b y the Select Committee, be taken into consideration.

The Motion was carried.

**Mr. Speaker:** The House will now take up the Bill clause by clause.

**Sub-Clauses (2) & (3) of clause 1**

**Mr. Speaker:** Question is—

That the Sub Clauses (2) & (3) clause 1 stand part of the bill.

The Motion was carried.

**Voice:** All the Clauses be put together.

**Clauses 2 to 15**

**Mr. Speaker:** Question is—

That the Clauses 2 to 15 1 stand part of the bill.

The Motion was carried

**Clauses 16 to 38**

**Mr. Speaker:** Question is—

That the Clauses 15 to 38 stand part of the bill.

The Motion was carried

**Clauses 39 to 52**

**Mr. Speaker:** Question is—

That the Clauses 39 to 52 stand part of the bill.

The Motion was carried

**Clauses 53 to 66**

**Mr. Speaker:** Question is—

That the Clauses 53 to 66 stand part of the bill.

The Motion was carried

**Sub-Clauses (1) of clause 1**

**Mr. Speaker:** Question is—

That Sub-Clauses (1) of clause 1 stand part of the bill.

The Motion was carried

**Enacting Formula**

**Mr. Speaker:** Question is—

That Enacting Formula be the Enacting of the bill.

The Motion was carried

**Title**

**Mr. Speaker:** Question is—

That Title be the Title of the bill.

The Motion was carried

**सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त):** श्रीमान मै प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप मे हरियाणा नहर तथा जल–निकास विधेयक पारित किया जाए।

**Mr. Speaker:** Motion moved—

That the Haryana Canal and Drainage Bill, as reported by the Select committee, be passed.

**Mr. Speaker:** Question is—

That the Haryana Canal and Drainage Bill, as reported by the Select committee, be passed.

The Motion was carried.

**Home Minister (Sh. K. L. Poswal):** Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned will 2.00 PM on Friday, the 26th July, 1974.

**Mr. Speaker:** Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned will 2.00 PM on Friday, the 26th July, 1974.

**Mr. Speaker:** Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned will 2.00 PM on Friday, the 26th July, 1974.

The Motion was carried.

**Mr. Speaker:** The House stands adjourned till 200 PM on 26th July, 1974.

***15.52**

(The Sabha then adjoined *till 2.00 PM on Friday, the 26th July, 1974.)